रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 5, 1997 (चैत्र 15, 1919)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1997 (CHAITRA 15, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 14 फरवरी 1997

क्रमांक सीडीओ : एडीएम : एसपीएल : 7596—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के खंड 50 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने, भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श करने के पश्चात् और केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति आधार पर इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि नियम और विनियम में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

(1) लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ

इन नियमों को इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि (संशोधित) नियम, 1997 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी पेंशन एवं गारण्टी निधि नियम और विनियम (इसके बाद इन्हें मुख्य नियम कहा जाएगा) के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :

'16. यहां जो प्रावधान किया गया है उसे छोड़कर, 1-11-1993 से भारत में सेवारत किसी कर्मचारी/सदस्य की निधि में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि तक की सेवा अवधि गणना पेंशन के लिए की जाएगी । इंग्लैंड में पेंशन के लिए सेवा की गणना आयु पर ध्यान दिए बिना लंदन में प्रथम नियुक्ति से की जाएगी ।'

3. (क) मुख्य नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) को खंड (क) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु यह, 1-11-1993 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त हुए/होने वाले सदस्यों के लिए अखिल भारतीय कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 तिमाही औसत के 1148 बिंदुओं तक मूल वेतन पर मंहगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद पेंशन

की अधिकतम राशि उपर उल्लिखित के अनुसार रु. 2400/- से बढ़ाकर रुपए 4250/- कर दी जाएगी ।

(ख) नियम 20 के उप-नियम (1) से खण्ड (क) के उपबंध को काट दिया जाएगा ।

4. 1-11-1993 से नियम 20 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(3) (1) दिनांक 1-11-1987 से पहले (1-11-1987 को छोड़कर) बैंक की पेन्शनयोग्य सेवा समाप्त करने वाले सदस्यों के मामले में, 1960=100 की श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं के बढ़ने या घटने पर, जैसी भी स्थिति हो, 600 बिन्दुओं तक समुचित रूप से आवश्यक समायोजन की अध्यधीन महंगाई राहत बढ़ाकर या कम करके यथासार अदा/वसूल की जाएगी । प्रत्येक उक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी बढ़ोतरी या घटोतरी की गणना निम्नलिखित ढंग से निकाली जाएगी :—

मूल पेंशनमान प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में मंहगाई राहत की दर
(क) 1250 रुपए तक	0.67 प्रतिशत
(ख) 1251 रुपए से 2000 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत के साथ-साथ 1250 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत ।
(ग) 2001 रुपए से 2130 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अन्तर का 0.55 प्रतिशत के साथ-साथ 2000 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत ।
(घ) 2130 रुपए से अधिक	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अन्तर का .55 प्रतिशत के साथ-साथ 2130 रुपए एवं 2000 रुपए के अन्तर का 0.33 प्रतिशत और 2130 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।

(2) दिनांक 1-11-1987 से 31-10-1993 के बीच बैंक की पेन्शन योग्य सेवा समाप्त करने वाले सदस्यों के मामले में, 1960 = 100 की श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं के बढ़ने या घटने पर, जैसी भी स्थिति हो, महंगाई राहत क्रमशः बढ़ाकर या कम करके अदा की जाएगी । प्रत्येक उक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी बढ़ोतरी या घटोतरी की गणना निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

मूल पेंशनमान प्रतिमाह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में मंहगाई राहत की दर
1	2
(क) 1250 रुपए तक	0.67 प्रतिशत
(ख) 1251 रुपए से 2000 रुपए	1250 रुपये का 0.67 प्रतिशत के साथ-साथ 1250 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत ।
(ग) 2001 रुपए से 2130 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अन्तर का 0.55 प्रतिशत के साथ-साथ 2000 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत
(घ) 2130 रुपए से अधिक	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अन्तर का .55 प्रतिशत के साथ-साथ 2130 रुपए एवं 2000 रुपए के अन्तर का 0.33 प्रतिशत और 2130 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत

(3) दिनांक 1 नवम्बर, 1993 को या उसके बाद जो सदस्य बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, उन सदस्यों को 1960–100 की श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं के बढ़ने या घटने पर, जैसी भी स्थिति हो, महंगाई राहत बढ़ाकर या कम करके अदा की जाएगी, प्रत्येक उक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसे बढ़ोतरी या घटोतरी की गणना निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :

मूल पेंशनमान प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में मंहगाई राहत दर
(क) 2400 रुपए तक	0.35 प्रतिशत
(ख) 2401 रुपए से 3850 रुपए तक	2400 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 2400 रुपए से अधिक की मूल पेंशन राशि का 0.29 प्रतिशत ।
(ग) 3851 रुपए से लेकर 4100 रुपए तक	2400 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 3850 रुपए एवं 2400 रुपए के अन्तर का 0.29 प्रतिशत के साथ-साथ 3850 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।
(घ) 4100 रुपए से अधिक	2400 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 3850 रुपए एवं 2400 रुपए के अन्तर का 0.29 प्रतिशत के साथ-साथ 4100 रुपए एवं 3850 रुपए के अन्तर का 0.17 प्रतिशत और 4100 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत ।

4. फरवरी की प्रथम तिथि से 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए महंगाई राहत देय होगी । इस भुगतान का आधार पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास के लिए प्रकाशित औसत सूचक आंकड़ों का तिमाही औसत और अगस्त की प्रथम तिथि से 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए इसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून मास के लिए प्रकाशित औसत सूचक आंकड़ों का तिमाही औसत रहेगा ।

(5) संराशीकरण कर लिए जाने के बाद भी संपूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान की अनुमति दी जाएगी ।

5. नियम 20(क) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :

20(ख) (1) बैंक की सेवा से 1-1-1986 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 11-1-1994 से या उसके पश्चात् ऐसी किसी भी तिथि जब वह संराशीकरण हेतु पात्र हो जाता हो, से अपने पेंशन के एक

तिहाई भाग तक की राशि के एकमुश्त भुगतान हेतु पेंशन का संराशीकरण कराने हेतु पात्र होगा ।

परन्तु अधिसूचित तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका कर्मचारी इस अधिसूचना के प्रकाशन से 120 दिनों के अंदर संराशीकरण हेतु अपना विकल्प दे सकता है ।

(2) बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन के उस भाग का जिसका वह संराशीकरण कराना चाहता हो, उल्लेख करना होगा एवं उसे या तो तिहाई पेंशन की उच्चतम सीमा या ऐसी ही न्यूनतम सीमा का उल्लेख करना चाहिए ।

(3) संराशीकरण की जाने वाली पेंशन राशि का कोई भाग (अंश) यदि संराशीकरण के परिणामस्वरूप रुपए के किसी भाग (अंश) के रूप में निकलता हो तो संराशीकरण के प्रयोजनार्थ उसे छोड़ दिया जाएगा ।

(4) संराशीकरण के परिणामस्वरूप आवेदक को अदा की जाने वाली एकमुश्त राशि का परिकलन नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा ।

सारणी

एक रुपए वार्षिक की पेंशन हेतु संराशीकृत

पेंशन धारक की अगली जन्म तिथि पर आयु	क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में उल्लिखित किया गया संराशीकृत मूल्य	पेंशनधारक की अगली जन्म तिथि पर उसकी आयु	क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में उल्लिखित किया गया संराशीकृत मूल्य
1	2	3	4
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13
51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65
69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.78	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33	—	—

टिप्पणी :—

उपयुक्त तालिका में, पेंशनधारक की अगली जन्म तिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में पेंशन के संराशीकृत मूल्य का उल्लेख किया गया है । 58 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के प्रकरण में संराशीकृत मूल्य क्रय किए गए कुल 7.22 वर्षों के रूप में उल्लेखित किया गया है अतः अपनी सेवानिवृत्ति से यदि एक वर्ष के अन्दर वह अपनी पेंशन में 100 रुपए का संराशीकरण करता है, तो उसे अदा की जाने वाली एकमुश्त राशि $100 \times 7.22 \times 12 = 8,664$ रुपए होगी ।

2. पेंशन के स्वीकार्य भाग का संराशीकरण करने वाला कर्मचारी संराशीकरण की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के समाप्ति पर पेंशन के संराशीकृत भाग को पुनः चालू कराने का पात्र होगा ।

3. सेवानिवृत्ति की तिथि से यदि एक वर्ष के अन्दर पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन किया जाता है तो चिकित्सा जांच कराना आवश्यक नहीं होगा । तथापि यदि कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् संराशीकरण हेतु आवेदन करता है, तो बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच कराने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाएगी ।

4. पेंशन का संराशीकरण उस कर्मचारी के प्रकरण में पूर्ण होगा जो :—

(क) सेवानिवृत्त होने की तिथि से पूर्व ही पेंशन का संराशीकरण करने हेतु अपना आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से अगली तिथि पर प्रस्तुत कर चुका हो ।

(ख) यदि वह सेवानिवृत्त होने के पश्चात् लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पहले पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता हो तो, पेंशन के संराशीकरण हेतु किया गया आवेदन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस तिथि को प्राप्त किया गया हो, उस तिथि से संराशीकृत किया जाएगा ।

(ग) यदि वह सेवानिवृत्ति होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् पेन्शन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता हो तो बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिस तिथि को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया गया हो, उस तिथि से संराशीकृत किया जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्र सरकार ने पेन्शन की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने तथा इसका संराशीकरण आरम्भ करने नीति हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है । तदनुसार इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया के नियमों और विनियमों को संशोधित किया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव हेतु की गई इस अधिसूचना के फलस्वरूप इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का कोई भी कर्मचारी/पेन्शनर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा राजपत्रित किए गए थे :—

अधिसूचना क्रमांक	प्रकाशन की तिथि
एडीएम : एसपीएल : 4459	26-10-1991

मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

क्रमांक सीडीओ : एडीएम : एसपीएल : 7597—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) के खण्ड 50 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श करने के पश्चात् एवं केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियमों में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं अर्थात् :

1. लघु शीर्षक एवं प्रभावी तिथि :

(1) इन नियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम 1997 कहा जाए ।

(2) ये नियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. (क) भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि नियम (इसमें इसके पश्चात् इन्हें मूल नियम कहा जाए) के नियम 8 में '1-11-1993 को या उसके पश्चात्' शब्दों एवं अंकों को निधि के सदस्य शब्दों के पश्चात् जोड़ा जाए ।

(ख) मूल नियम 8 के उप नियम (ग) में अंक '38' के स्थान पर अंक '48' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. मूल नियमों के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

20. नियम 21 में उल्लिखित स्थितियों को छोड़कर 1-11-1993 से किसी कर्मचारी/सदस्य द्वारा निधि में सम्मिलित किए जाने की तिथि से लेकर सेवानिवृत्त होने की तिथि तक की गई सेवा को नियम 22 के अनुसार आगे से पेंशन हेतु बैंक की सेवा के रूप में लिया जाएगा ।

4. मूल नियमों के नियम 22 के उप नियम (1) के खण्ड (क) में 'पचास वर्ष' शब्द के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें ।

'या 1-11-1993 को या उसके पश्चात् यदि वह बैंक की सेवा में हो तो पेंशन योग्य सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लेने पर बशर्ते उसने 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो' ।

5. मूल नियमों के नियम 23 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

'प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औसत) आधार 1960 =100 के तिमाही औसत में 1148 बिन्दुओं तक के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाविष्ट करने के पश्चात् पेंशन की अधिकतम राशि 1-11-1993 की तिथि को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य के लिए ऊपर उल्लिखित की गई राशि 2400 रुपए से बढ़ाकर 4250 रुपए (अंशकालिक कर्मचारियों के प्रकरण में समानुपातिक आधार पर) कर दी जाएगी ।'

6. 1-11-1993 से नियम 23 के उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(6) (1) ऐसे सदस्यों जिनकी बैंक की पेंशन योग्य सेवा 1-11-1987 (1-11-1987 को छोड़कर) से पूर्व ही समाप्त हो गई हो, के प्रकरण में 1960=100 की श्रेणियों में महंगाई राहत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 बिन्दुओं तक के महंगाई भत्ते का उपयुक्त आवश्यक समायोजन करते हुए 600 बिन्दुओं के ऊपर प्रत्येक 4 बिन्दुओं के लिए उक्त वृद्धि का भुगतान या गिरावट की वसूली प्रकरणानुसार की जाएगी । कथित प्रत्येक चार बिन्दुओं हेतु महंगाई राहत में उक्त वृद्धि या गिरावट का परिकलन नीचे दर्शाए गए अनुसार किया जाएगा ।

मूल पेंशनमान प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(क) 1250 रुपए तक	0.67 प्रतिशत ।
(ख) 1251 रुपए से 2000 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत के साथ-साथ 1250 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत ।
(ग) 2001 रुपए से 2130 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अंतर का 0.55 प्रतिशत के साथ-साथ 2000 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत ।
(घ) 2130 रुपए से अधिक	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अंतर का 0.55 प्रतिशत के साथ-साथ 2130 रुपए एवं 2000 रुपए के अंतर का 0.33 प्रतिशत और 2130 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।

(2) दिनांक 1-11-1987 से 31-10-1993 के बीच बैंक की पेन्शन योग्य सेवा समाप्त करने वाले सदस्यों के मामले में, 1960 = 100 की श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत

में 600 बिन्दुओं से अधिक प्रत्येक 4 बिन्दुओं के बढ़ने या घटने पर जैसी भी स्थिति हो, महंगाई राहत क्रमशः बढ़ाकर या कम करके अदा या वसूल की जाएगी । प्रत्येक उक्त चार बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी बढ़ोतरी या घटोतरी की गणना निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

मूल पेंशनमान प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(क) 1250 रुपए तक	0.67 प्रतिशत
(ख) 1251 रुपए से 2000 रुपए	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत के साथ-साथ 1250 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत ।
(ग) 2001 रुपए से 2130 रुपए	1250/- रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अंतर का 0.55 प्रतिशत के साथ-साथ 2000 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत ।
(घ) 2130 रुपए से अधिक	1250 रुपए का 0.67 प्रतिशत और 2000 रुपए एवं 1250 रुपए के अंतर का .55 प्रतिशत के साथ-साथ 2130 रुपए एवं 2000 रुपए के अंतर का 0.33 प्रतिशत और 2130 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।

(3) बैंक की सेवा से नवम्बर, 1993 के पहले दिन या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होनेवाले सवर्गों के प्रकरण में 1960=100 की श्रृंखला में महंगाई राहत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 बिन्दुओं के ऊपर प्रत्येक 4 बिन्दुओं के लिए प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए प्रकरणानुसार अदा की जाएगी या वसूली की जाएगी ।

कथित प्रत्येक चार बिन्दुओं हेतु महंगाई राहत में उक्त वृद्धि या गिरावट का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा :—

मूल पेंशन मान प्रति माह	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत दर
(क) 2400 रुपए तक	0.35 प्रतिशत ।
(ख) 2401 रुपए से 3850 रुपए तक	2400 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 2400 रुपए से अधिक की कुल पेंशन राशि का 0.29 प्रतिशत ।
(ग) 3851 रुपए से लेकर 410 रुपए तक	24 0 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 3850 रुपए एवं 2400 रुपए के अन्तर का 0.29 प्रतिशत के साथ 3850 रुपए से अधिक के । मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत ।
(घ) 4100 रुपए से अधिक	2400 रुपए का 0.35 प्रतिशत और 3850 रुपए एवं 2400 रुपए के अंतर का 0.29 प्रतिशत के साथ-साथ 4100 रुपए एवं 3850 रुपए के अंतर का 0.17 प्रतिशत और 4100 रुपए से अधिक के मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत ।

(4) फरवरी की प्रथम तिथि से 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए महंगाई राहत देय होगी । इस भुगतान का आधार पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास के लिए प्रकाशित औसत सूचक आंकड़ा का तिमाही औसत और अगस्त की प्रथम तिथि से 31 जनवरी का समाप्त होने वाली छमाही के लिए इसी वर्ष के अप्रैल, मई और जून मास के लिए प्रकाशित औसत आंकड़ों का तिमाही औसत रहेगा ।

(5) संराशीकरण कर दिए जाने के बाद भी संपूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान का अनुमति दी जाएगी ।

7. नियम 23 के उप नियम (क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :

(ख) (1) बैंक की सेवा से 1-1-1986 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी 1-11-1994 से या उसके पश्चात् ऐसी किसी भी तिथि जब वह संराशीकरण हेतु पात्र हो जाता हो, से अपने पेंशन के एक तिहाई भाग तक की राशि के एकमुश्त भुगतान हेतु पेन्शन का संराशीकरण कराने हेतु पात्र होगा ।

परन्तु अधिसूचित तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका कर्मचारी इस अधिसूचना के प्रकाशन से 120 दिनों के अंदर संराशीकरण हेतु अपना विकल्प दे सकता है ।

(2) बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन के उस भाग का जिसका वह संराशीकरण करना चाहता हो, उल्लेख करना होगा एवं उसे या तो एक तिहाई पेंशन की उच्चतम सीमा या ऐसी ही किसी न्यूनतम सीमा का उल्लेख करना चाहिए ।

(3) संराशीकरण की जाने वाली पेंशन राशि का कोई भाग (अंश) यदि संराशीकरण के परिणामस्वरूप रुपए के किसी भाग (अंश) के रूप में निकलता हो तो संराशीकरण के प्रयोजनार्थ उसे छोड़ दिया जाएगा ।

(4) संराशीकरण के परिणामस्वरूप किसी आवेदक को अदा की जाने वाली एकमुश्त राशि का परिकलन नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा ।

सारिणी

एक रुपए वार्षिक की पेंशन हेतु संराशीकृत

पेंशनधारक की अगली जन्म-तिथि पर उसकी आयु	क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में उल्लिखित किया गया संराशीकृत मूल्य	पेंशनधारक की अगली जन्म-तिथि पर उसकी आयु	क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में उल्लिखित किया गया संराशीकृत मूल्य
1	2	1	2
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31

1	2	1	2
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13
51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65
69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.75	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33		

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त तालिका में, पेंशनधारक की अगली जन्मतिथि पर उसकी आयु के संदर्भ में क्रय किए गए कुल वर्षों के रूप में पेंशन के संराशीकृत मूल्य को दर्शाया गया है । 58 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के प्रकरण में संराशीकृत मूल्य क्रय किए गए कुल 7.22 वर्षों के रूप में उल्लिखित किया गया है अतः अपनी सेवानिवृत्ति से यदि एक वर्ष के अंदर वह अपनी पेंशन से 100 रुपए का संराशीकरण करता हो, तो उसे अदा की जाने वाली एकमुश्त राशि $100 \times 7.22 \times 12 = 8,664$ रुपए होगी ।

2. पेंशन के स्वीकार्य भाग का संराशीकरण करने वाला कर्मचारी संराशीकरण की तिथि से 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर पेंशन के संराशीकृत भाग को पुनः चालू कराने का पात्र होगा ।

3. सेवानिवृत्ति की तिथि से यदि एक वर्ष के अंदर पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन किया जाता हो तो चिकित्सा जांच कराना आवश्यक नहीं होगा । तथापि यदि कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् संराशीकरण हेतु आवेदन करता है, तो बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच कराने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाएगी ।

4. पेंशन का संराशीकरण उस कर्मचारी के प्रकरण में पूर्ण होगा जो :—

(क) सेवानिवृत्त होने की तिथि से पूर्व ही पेंशन का संराशीकरण करने हेतु अपना आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से अगली तिथि पर प्रस्तुत कर देता हो ।

(ख) यदि वह सेवानिवृत्त होने के पश्चात् लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पहले पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता हो तो, पेन्शन के संराशीकरण हेतु किया गया आवेदन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस तिथि को प्राप्त किया गया हो, उस तिथि से संराशीकृत किया जाएगा ।

(ग) यदि वह सेवानिवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् पेन्शन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता हो तो बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिस तिथि को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया गया हो, उस तिथि से संराशीकृत किया जाएगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. केन्द्र सरकार ने पेंशन की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने एवं इसका संराशीकरण प्रारम्भ करने आदि हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है । तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक नियमों/विनियमों को संशोधित किया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव होने की वजह इस अधिसूचना के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक का कोई भी कर्मचारी/पेंशनधारक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा राजपत्रित किए गए थे :—

अधिसूचना क्रमांक	प्रकाशन की तिथि
एडीएम :एसपीएल : 4462	26-10-1991

ह./- अपठनीय
मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 21 मार्च 1997

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयरों के अंतरण के लिए मंगलवार 3 जून, 1997 से मंगलवार 17 जून, 1997 तक (दोनों दिन शामिल करके) बंद रहेगा।

जी. जी. वैद्य
प्रबन्ध निदेशक

इलाहाबाद बैंक

(विधि विभाग)

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 15 मार्च 1997

शुद्धि पत्र

सं. एचओ/लीगल/1236—भारत के राजपत्र भाग 3 खंड 4 में 25-1-1997 को प्रकाशित दिनांक 14-12-1996 की अधिसूचना सं. एचओ/लीगल/0938 को निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

"इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 कहा जा सकेगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में, विनियम 19 के उप विनियम (1) के प्रथम परन्तुक हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"परन्तु यह कि, बैंक अपने विवेकानुसार, इसमें इसके पश्चात उप विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समिति/विशेष समितियों के पुनर्विलोकन पर, किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में 30 वर्षों की कुल सेवा पूरी कर लेने के पश्चात किसी समय, इनमें से जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त कर सकेगा, यदि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक समझा गया हो"।

आर. एल. बत्रा
मुख्य प्रबन्धक (विधि)

विशेष दृष्टव्य : इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में संशोधन से संबंधित पिछली अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र भाग-3 खंड (4) में निम्नलिखित तिथियों को प्रकाशित की गई।

(1) दिनांक 12-09-87 (2) दिनांक 31-10-87 (3) दिनांक 21-11-87 (4) दिनांक 28-11-87 (5) दिनांक 12-12-87 (6) दिनांक 29-10-88 (7) दिनांक 21-07-90 (8) दिनांक 28-7-90 (9) दिनांक 19-09-92 (10) दिनांक 17-08-93 (11) दिनांक 9-10-93 (12) दिनांक 9-4-94 (13) दिनांक 18-2-1995 (14) दिनांक 25-2-1995 (15) दिनांक 15-07-95 (16) दिनांक 10-12-96 (17) दिनांक 25-01-1997।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परिषद का सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक   जनवरी 1997

सं. 15-1/95-टी. एस. 1—प्रौद्योगिकी संस्थान नियम, 1962 के नियम 5 के उप-नियम (ख) के अनुसरण में परिषद कार्यकारी मामलों से सम्बन्धित स्थाई समिति नामक परिषद की एक स्थाई समिति को निम्नलिखित सदस्यों के साथ एतद्द्वारा गठित करती है, अर्थात :—

अध्यक्ष

(1) अध्यक्ष,
शासी बोर्ड,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
बम्बई।

सदस्य पदेन

(2) सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार।

(3) वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार।

सदस्य

(4) निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
दिल्ली।

(5) निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
गुवाहाटी।

सदस्य पदेन

(6) महानिदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

(7) अध्यक्ष,
भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद,
बंगलौर ।

सदस्य-सचिव पदेन

(8) सचिव,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
परिषद ।

2. (क) पैराग्राफ 1 की क्रम सं. 4 तथा 5 पर उल्लिखित अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा ।

(ख) अध्यक्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के अध्यक्ष का नामित व्यक्ति होगा, जिसे विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शासी बोर्ड के अध्यक्षों में से चक्रानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा ।

(ग) कार्यकारी मामलों से संबंधित स्थायी समिति में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से, पैराग्राफ 1 की क्रम सं. 4 व 5 में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थलों के स्थानों के आधार पर वर्णक्रमानसार चक्रानुक्रम आधार पर किया जाएगा । कार्यकारी मामलों से संबंधित स्थायी समिति के प्रारम्भिक गठन संबंधी इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 की क्रम सं. 4 व 5 में उल्लिखित नामित सदस्य निम्न प्रकार पद धारित करेंगे :—

(1) क्रम सं. 4 में उल्लिखित सदस्य—एक वर्ष ।

(2) क्रम सं. 5 में उल्लिखित सदस्य—दो वर्ष ।

सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर, पैराग्राफ 1 की क्रम सं. 4 में उल्लेख के स्थान पर सदस्य को उप-पैराग्राफ (ग) में यथा उल्लिखित चक्रानुक्रम आधार पर नामित किया जाएगा ।

3. कार्यकारी मामलों से संबंधित स्थायी समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) परिषद द्वारा कार्य संचालन के संबंध में विनियमों की सिफारिश करना, अर्थात बैठकों का अन्तराल बैठक की गणपूर्ति तथा ऐसे अन्य सम्बन्धित कार्य-निष्पादन ।

(2) स्थायी समिति के परामर्श से परिषद की ओर से विशिष्ट मामलों और आपातकालीन मामलों को निपटाने के लिए परिषद को अधिकार सौंपने के संबंध में दिशा-निर्देशों तथा विनियमों की सिफारिश करना;

(3) परिषद के अध्यक्ष को यह परामर्श देना कि क्या किसी मुद्दे पर उसके द्वारा शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है;

(4) परिषद के विचारार्थ कार्यसूची की मदों को अन्तिम रूप देना,

(5) परिषद के अध्यक्ष को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विशेष कार्यों तथा उन्हें निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी आपातकालिक मामले पर सलाह देना,

(6) ऐसे संकल्पों का प्रारूप तैयार करना जो सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सम्बन्ध में एक समान नीति को सांविधियां तैयार करने में परिषद को अधिकार प्रदान करेंगे;

(7) परिषद की ओर से स्थायी समिति द्वारा विचार तथा अनुमोदित किए जाने वाली मदों/मुद्दों पर दिशा-निर्देश तैयार करना;

(8) सरकार के विचारार्थ परिषद के सचिवालय की संरचना की सिफारिश करना;

(9) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 33 के अधीन परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना और परिषद को उपयुक्त सिफारिशें करना; तथा

(10) परिषद की अधिकारिता में आने वाली और अलग-अलग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विभिन्न शासी बोर्डों अथवा भा. प्रौ. संस्थानों के अलग-अलग निदेशकों अथवा भा. प्रौ. सं. में अन्य रूपों जैसे सीनेट और संकाय संघों अथवा परिषद सचिवालय द्वारा निर्दिष्ट मदों पर या तो परिषद के अध्यक्ष को उनके सीमा क्षेत्र या आपात विचार हेतु आने वाली मदों के लिए अथवा स्वयं परिषद को किसी साधारण अनुसूचित बैठक में या स्थाई समिति को प्रत्यायोजित मदों हेतु अन्तिम निपटान के लिए सिफारिश के वास्ते विचार करना ।

डा. एस. डी. आवले
सचिव, भा. प्रौ. सं. परिषद

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1997

सं. रा. स. वि. नि : ए एण्ड सी : 8-13/83-सी पी एफ —राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, 1964 के विनियम–29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्वस्वीकृति से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, 1964 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1. विनियम–18 (1) (क) के अधीन खण्ड–7 तथा विनियम 19–क (1) के अधीन खण्ड-5 की तरह निम्नलिखित को सम्मिलित करना :—

टी. वी., वी. सी. आर./वी. सी. पी., वाशिंग मशीन, कूकिंग रेंज, गीजर, कम्प्यूटर आदि जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के व्ययों की पूर्ति करना ।

2. विनियम 19–क (1) के अधीन वर्तमान प्रावधान होत निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करना :—

बशर्ते कि (1) इस विनियम के अधीन तब तक कोई भी आहरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक अंशदाता ने (क) खण्ड-4 के अधीन आहरण के मामले में 10 वर्ष की सेवा अथवा खण्ड (1), (2), (3) तथा (5) के अधीन आहरण के मामले में 15 वर्षों की सेवा (ख) अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इनमें से जो भी पहले हो । (2) आहरण की राशि सामान्य रूप में अंशदाता के छः माह के वेतन से अधिक नहीं होगी अथवा अंशदाता के खाते के शेष में निहित ब्याज और छूट प्राप्त अंशदान की 75% राशि तक होगी, इनमें से जो भी कम हो । तथापि इस सीमा में न्यासी-समिति द्वारा छूट दी जा सकती है । (3) उपर्युक्त खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु आहरण आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

रा. स. वि. नि., इं. पी. एफ. विनियमावली के प्रावधानों को भारत सरकार की सामान्य भविष्य निधि (जी. पी. एफ.) के प्रावधानों के समतुल्य लाने हेतु उक्त संशोधन प्रस्तावित है । ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

जे. पी. सिंह
प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 6 फरवरी 1997

सं. एफ. 28-2/96 एन. सी. टी. इं.—खण्ड 32 के उपखण्ड 2 की धारा (ण) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के खण्ड 20 के उप-खण्ड (7) के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम "राष्ट्रीय अध्यापक, शिक्षा परिषद" (क्षेत्रीय समिति में सदस्यों के आकस्मिक रिक्त स्थानों को भरने की विधि) विनियम, 1996 है । ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे ।

2. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो इन विनियमों में :—

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की संख्या 73) ।

(2) अन्य सभी शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम के खण्ड में निहित अर्थ है ।

3. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम इस अधिनियम के खण्ड 20 के उप खण्ड की धारा (क) तथा (ग) के अंतर्गत क्षेत्रीय समिति में नामजद सदस्य की मत्यु, उसके त्यागपत्र अथवा बीमारी या किसी अन्य प्रकार की उसकी अक्षमता के कारण अपने कार्य का निर्वाह न करने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय समिति में हुए सदस्य के रिक्त स्थान पर लागू होंगे ।

किन्तु यदि किसी सदस्य की क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है तो शर्त यह भी है कि यह विनियम उसके रिक्त स्थान पर भी लागू होगा ।

4. आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने की विधि

यदि क्षेत्रीय समिति में किसी सदस्य (अध्यक्ष सहित) का स्थान रिक्त होता है चाहे वह उसकी मत्यु, उसके त्यागपत्र अथवा क्षेत्रीय समिति के कार्य का निर्वाह करने की उसकी अक्षमता किसी भी कारण से हुआ हो तो उस रिक्त स्थान को किसी नए व्यक्ति की नामजदगी से भरा जाएगा और जिस व्यक्ति को इस तरह नामजद किया जाएगा वह उस व्यक्ति की शेष अवधि के लिए उस पद पर रहेगा, जिसके स्थान पर उसे सदस्य के रूप में नामजद किया गया है ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

सं. एफ. 28-9/96 एन. सी. टी. इं.—खण्ड 32 के उपखण्ड की धारा (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 17) के खण्ड 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा सहित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी. एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति] विनियम, 1996 है ।

2. किस पर लागू रहेंगे

ये विनियम विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों मुक्त/खुले विश्वविद्यालयों, उनके/संघटक संस्थानों और अन्य सभी निकायों/संस्थाओं पर उनके नाम तथा कार्यशैली जो भी हो, लागू रहेंगे ।

3. परिभाषा

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो इन विनियमों में —

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73)

(2) "अध्यापक शिक्षा में नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण" का अर्थ है अध्यापक शिक्षा के लिए कोई ऐसा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण मान्यता प्रदान करने के समय संस्थान द्वारा जिसकी व्यवस्था नहीं थी किन्तु मान्यता-प्राप्त संस्थान द्वारा जिनके लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(3) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ जो अधिनियम की खण्ड 2 में निहित है ।

4. मान्यता के लिए आवेदनपत्र

(क) प्रत्येक संस्थान को जिसने अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की है/जिसका यह व्यवस्था करने का विचार है, मान्यता के लिए उक्त अधिनियम के अधीन इन विनियमों के परिशिष्ट–1 में दिए गए फार्म में आवेदनपत्र देना होगा ।

(ख) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जिसके भूभागीय अधिकार-क्षेत्र में संबंधित संस्थान स्थित है ।

5. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिये आवेदनपत्र

(क) यदि कहीं कोई मान्यता-प्राप्त संस्थान अध्यापक शिक्षा के लिये कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे अपना आवेदन-पत्र इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में संबंधित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ख) यदि कहीं कोई मान्यता-प्राप्त संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिये उसमें प्रवेश के लिए स्वीकृत संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहता है तो उस मान्यता-प्राप्त संस्थान को अपना आवेदनपत्र इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में संबंधित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ग) आवेदनपत्र उस क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा, जिसके भूभागीय अधिकारक्षेत्र में वह संस्थान स्थित है ।

6. आवेदनपत्र भेजने की विधि

(क) मान्यता के लिये आवेदनपत्र परिशिष्ट-1 में दिये गये फार्म में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा ।

(ख) मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को परिशिष्ट-1 में दिये गये फार्म में भेजना होगा ।

(ग) संस्थान की मान्यता के लिये आवेदनपत्र तीन प्रतियों में भेजना होगा ।

(घ) उस संस्थान की मान्यता के लिये जिसमें अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की व्यवस्था 17 अगस्त 1995 के ठीक पहले उपलब्ध थी, आवेदनपत्र सीधे क्षेत्रीय समिति को भेजा जाएगा।

(ङ) ऐसे प्रत्येक संस्थान को अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है किन्तु जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले कार्यरत नहीं था, मान्यता के लिये अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ भेजना होगा, जिसमें वह संस्थान स्थित है ।

(च) मान्यता-प्राप्त संस्थानों को उपर्युक्त विनियम 5 के उप-विनियम (ख) के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति के लिये अपना आवेदनपत्र उस सरकार या संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ भेजने होंगे, जिसमें वह संस्थान स्थित है ।

7. शुल्क

संस्थान की मान्यता अथवा मान्यता-प्राप्त संस्थानों द्वारा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र के साथ परिषद द्वारा समय-समय पर इस तरह के आवेदन

के लिये निर्दिष्ट शुल्क भेजना होगा और यह शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजना होगा, जिसे "क्षेत्रीय समिति, अध्यापक परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के स्थान पर अदायगी के लिये बनवाया गया हो ।

8. आवेदनपत्र भेजने की समयसीमा

(क) प्रत्येक संस्थान को जो अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहता है, अपना आवेदनपत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को भेजना होगा जो आगामी शिक्षा सत्र से वह पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिये प्रति वर्ष वहां 31 दिसम्बर तक पहुंच जाना चाहिए ।

(ख) अध्यापक शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या मान्यता-प्राप्त संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र परिशिष्ट-1 में दिये गये फार्म में भेजा जाएगा जो सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति के यहां अध्यापक शिक्षा के उस पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिये जिसे आगामी शैक्षिक-वर्ष से प्रारम्भ किया जाना है, कैलेण्डर वर्ष की 31 दिसम्बर के पहले पहुंच जाना चाहिए ।

9. मान्यता की शर्तें

(क) मान्यता के लिये प्राप्त आवेदनपत्र में दिये गये तथ्यों की जांच-परख एवं सत्यापन के आधार पर, जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं की इस बात के लिये संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यता-प्राप्त कर्मचारीवर्ग, प्रयोगशाला तथा ऐसे अन्य सभी प्रबन्ध हैं जो अध्यापक शिक्षा के उस पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिये जिसे वह चला रहा है या जिसे वह प्रारम्भ करना चाहता है, संस्थान के उचित रूप से कार्य करते रहने के लिये आवश्यक है ।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मान्यता-प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा परिशिष्ट-2 में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति की गई है ।

10. नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये मान्यता-प्राप्त संस्थानों को अनुमति प्रदान करने की शर्तें ।

(क) अध्यापक शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये मान्यता-प्राप्त संस्थान के आवेदनपत्र में दिये गये तथ्यों की जांच-परख और सत्यापन के आधार पर, जिस रूप में भी वह उचित समझे, क्षेत्रीय समिति को स्वयं को इस बात के लिये संतुष्ट करना होगा कि संस्थान के पास पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को चलाने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्थान, पुस्तकालय, योग्यता-प्राप्त कर्मचारी-वर्ग, प्रयोगशाला तथा अन्य सभी प्रबन्ध हैं ।

(ख) क्षेत्रीय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले प्रत्येक मान्यता-प्राप्त संस्थान द्वारा परिशिष्ट-2 में निहित मानकों और मानदण्डों की पूर्ति की गई है ।

11. क्षेत्रीय समिति को संस्थानों के आवेदनपत्र पर आदेश देने से पहले मान्यता के आवेदनपत्र पर विचार करते समय अधिनियम के खण्ड 14 के अधीन निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा ।

12. क्षेत्रीय समिति को अध्यापक शिक्षा के लिये नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की अनुमति के लिए मान्यता-प्राप्त संस्थानों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार करते समय अधिनियम के खण्ड 15 के प्रावधानों का पालन करना होगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

परिशिष्ट—I

अध्यापक शिक्षा संस्थान
शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा

सामान्य प्रपत्र
पत्राचार/दूरस्थ अध्यापक शिक्षा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
नई दिल्ली

शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पत्राचार/दूरस्थ अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम मान्यता/अनुमति के लिये आवेदनपत्र

निम्नलिखित के लिये आवेदन :

1.0 संस्थान की स्थिति — वर्तमान ☐ नवीन ☐

2.0 क्या आपका आवेदनपत्र निम्नलिखित के लिये है ?

2.1 वर्तमान पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिये — जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.2 नया/नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति के लिये

जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.3 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं के लिये जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.0 वर्तमान पाठ्यक्रम : कृपया कार्यक्रमों/अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का/के नाम लिखें।

कार्यक्रम	वर्ष (वर्षों) में अवधि	प्रस्तावित सीटें	अतिरिक्त सीट
3.1	....	....	....
3.2	....	....	....
3.3	....	....	....

4.0 प्रस्तावित नया/नये पाठ्यक्रम

कार्यक्रम	वर्ष (वर्षों) में अवधि	प्रस्तावित सीटें	अतिरिक्त सीटें
4.1	....	....	....
4.2	....	....	....
4.3	....	....	....

5.0 संस्थान/परिसर/काम्प्लेक्स में अध्यापक शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम, यदि कोई हैं तो किस/कौन से पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। (कृपया पाठ्यक्रम का नाम लिखें)

कार्यक्रम

5.1..................................

5.2 ....

5.3 ....

6.0 प्रस्तावित पाठ्यक्रम : जिन्हें वर्तमान परिसर में रखना है

कार्यक्रम जी हां ☐ जी नहीं ☐

6.1..................................

6.2 ....

6.3 ....

पत्राचार अथवा दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान की मान्यता/मान्यता-प्राप्त संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदनपत्र

*कृपया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गये सम्बन्धित विनियमों, मानदंडों तथा मानकों को देख लें।

*अपने उत्तर उचित बाक्स में सही √ का निशान लगाकर दें।

*यह प्रपत्र प्रारम्भिक/नर्सरी प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर पत्राचार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (सी० डी० ई०) पर लागू है।

1.0 सामान्य जानकारी

1.1 संस्थान का नाम ....

1.2 डाक-पता ....

डाकघर ....

जिला ....

राज्य ....

पिन

1.3 संस्थान के अध्यक्ष का टेलिफोन नम्बर (कार्यालय)---------(निवास)---------

1.4 तार का पता ....

1.5 निकटतम रेलवे स्टेशन से संस्थान की दूरी----------किलोमीटर

1.6 यदि ग्रामीण क्षेत्र में है, तो निकटतम शहर से दूरी ..... किलोमीटर

1.7 निकटतम बस स्टैण्ड और संस्थान से उसकी दूरी----------किलोमीटर

1.8 संस्थान से शहर के लिये उपलब्ध परिवहन सुविधा (कृपया सही √ का निशान लगाएं)

नगर बस ☐ आटोरिक्शा ☐

साइकिल रिक्शा ☐ टैक्सी ☐

1.9 संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं पर सही (√) का निशान लगाय

बिजली ☐ पानी ☐ टेलीफोन ☐

1.10 आपके अधिक्षेत्र में उपलब्ध सक्रिय विद्यालयों की संख्या

विद्यालय, संख्या----------

तथा क्षेत्र में इस कार्य के लिये सक्रिय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

कक्षाएं/संख्या ----------

(विद्यालयों और/या सहयोग देनेवाले संस्थानों के प्रधानों/अध्यक्षों के सहमति-पत्र संलग्न करें, जिसमें यह बताया गया हो कि किस भाग को देने का प्रस्ताव है) ।

2.0 प्रबन्धन

2.1 संस्थान का प्रबन्ध निम्नलिखित द्वारा किया जाता है/किया जाएगा

केन्द्रीय सरकार ☐ संघ शासित क्षेत्र/राज्य सरकार ☐

स्थानीय स्वायत्त शासन ☐ पंजीकृत सोसायटी/न्यास ☐

विश्वविद्यालय ☐ अन्य (कृपया स्पष्ट करें) ☐

2.2 यदि प्रबन्ध पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा किया जाता है तो बताएं :

उसका पंजीयन कब हुआ था ? तारीख ------माह----------वर्ष----------

क्या पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

क्या आपको सरकार से सहायक अनुदान मिलता है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.3 यदि प्रबन्ध बोर्ड/सरकार द्वारा किया जाता है, तो बताएं --

क्या मंजूरी के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

क्या आपको शतप्रतिशत अनुदान मिलता है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.4 24 माह के पाठ्यक्रम में शिक्षण की अवधि

प्रारम्भ की तारीख ----------

समापन की तारीख ----------

2.5 क्या वह आपकी सरकार से मान्यता-प्राप्त है ?

जी हां ☐ जी नहीं ☐

क्या मान्यता का पत्र संलग्न है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.6 क्या आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन० सी० टी० ई०) को निम्नलिखित के लिए आवेदनपत्र भेजा है:

वर्तमान पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए जी हां ☐ जी नहीं ☐

नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति के लिए जी हां ☐ जी नहीं ☐

वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) में अतिरिक्त प्रशिक्षुओं के प्रवेश के लिये जी हां ☐ जी नहीं ☐

2.7 यदि आवेदनपत्र नये पाठ्यक्रम के लिये है तो बताएं—

क्या आपने अपनी सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

यदि हां तो क्या आपने सम्बधित्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.0 भूमि और भवन

3.1 भूमि

कृपया बताएं कि संस्थान के पास कितनी भूमि उपलब्ध है ? ----------एकड़

क्या आपने साथ में मालिकाना अधिकार की रजिस्ट्री दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न की है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.1.1 क्या उपलब्ध भूमि एक भूखंड में है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.1.2 यदि भूखंडों की संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच की दूरी कितनी कितनी है ? ----------

(क्या भूखंडों के स्थानों को बताने वाला रेखाचित्र (स्कैच) संलग्न किया है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.2 तल क्षेत्रफल

संस्थान के वर्तमान भवनों का कुल तलक्षेत्र----------वर्ग मीटर

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये उपलब्ध तलक्षेत्र----------वर्ग मीटर

क्या तलक्षेत्र का नक्शा संलग्न है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

क्या तलक्षेत्र का यह नक्शा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

3.3 वर्तमान भवन

संस्थान के वर्तमान भवन में पाठ्यक्रम के लिये कमरों और उनके उपयोग का पूरा पूरा विवरण दें

कमरा	कमरों की संख्या	तल क्षेत्रफल वर्गमीटर	प्रस्तावित विस्तार/नया निर्माण : तल क्षेत्र
1	2	3	4
कक्षाएं			
पुस्तकालय			
प्रयोगशालाएं			
कार्यशाला			
सामग्री उत्पादन/			
संसाधन केन्द्र			
प्रेषण अनुभाग			
प्राचार्य/निदेशक कक्ष			
कार्यालय			
स्टाफ कक्ष			
प्रसाधन			
अन्य (स्पष्ट करें)			

3.4 नया भवन

यदि नया भवन निर्माणाधीन है तो क्या शीघ्र ही वह उपयोग के लिये उपलब्ध हो सकेगा ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(1) क्या भवन का नक्शा संलग्न है जी हां ☐ जी नहीं ☐

(2) क्या भवन के स्वीकृत तलक्षेत्र का नक्शा संलग्न है ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(3) निर्माण शुरू करने की तारीख लिखें माह----------वर्ष----------

(4) निर्माण पूरा होने की संभावित तारीख माह----------वर्ष----------

निम्नलिखित का विवरण दें :

स्थान शीर्ष	कमरों की संख्या	तल क्षेत्रफल
1	2	3
कक्षा		
पुस्तकालय		
प्रयोगशालाएं		
सामग्री उत्पादन/संसाधन केन्द्र		
प्रेषण अनुभाग		
सभा कक्ष		
प्राचार्य/निदेशक का कार्यालय कक्ष		
स्टाफ कक्ष		

3.5 स्टाफ क्वार्टर

वर्तमान एवं प्रस्तावित स्टाफ क्वार्टरों का ब्यौरा दें

क्वार्टर	वर्तमान		प्रस्तावित	
	संख्या	प्रत्येक का तल क्षेत्रफल	संख्या	प्रत्येक का तल क्षेत्रफल
प्राचार्य/निदेशक के लिये				
अध्यापकों के लिये				
अन्य कर्मचारियों-प्रशासकीय/सहायक वर्ग के लिये				

4.0 पुस्तकें, यंत्र, संयंत्र (उपस्कर) तथा फर्नीचर

4.1 पुस्तकें

(क) कृपया अपने पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और उन अन्य स्रोतों का, जिनका लाभ उपलब्ध है, विवरण दें ।

मद	वर्तमान संख्या तथा लगभग मूल्य कितना है	प्राप्त किए जानेवाली/वाले पुस्तकों/उपस्करों का मूल्य	उन अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध जिनके उपयोग का लाभ उपलब्ध है
		पहले वर्ष के दौरान	दूसरे वर्ष के दौरान
पाठ्य पुस्तक			
—संदर्भ पुस्तकें			
—अन्य पुस्तकें			
—पत्र-पत्रिकाएं			

(ख) उन अन्य पुस्तकालयों के नाम बताएं आपके संकाय और विद्यार्थियों को जिनके उपयोग का लाभ उपलब्ध है और उनमें उपलब्ध पुस्तकों की संख्या बताएं

4 2 यंत्र-संयंत्र/उपस्कर

इस हेतु उपलब्ध यंत्र-संयंत्रों/उपस्कर का विवरण दें ।

मद	प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	वर्तमान यंत्र-संयंत्रों/उपस्कर का मूल्य	अगली बार प्राप्त किये जाने वाले यंत्र-संयंत्रों/उपस्करों का मूल्य		उन संस्थानों में उपलब्ध जिनके उपयोग का लाभ उपलब्ध है
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन प्रयोगशाला					
विज्ञान प्रयोगशाला					
शिक्षा-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला					
कार्य अनुभव प्रयोगशाला					
अध्यापन एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला					
पुस्तकालय एवं वाचनालय					
सामाजिक विज्ञान एवं लघु समूह					
प्रयोगशाला					
भाषा प्रयोगशाला					
कोई अन्य प्रयोगशाला					
खेलकूद तथा शारीरिक क्रीड़ाएं					
कला/संगीत					

(II) उन अन्य संस्थानों के नाम बताएं जिनके उपयोग का लाभ आपको उपलब्ध है (ऊपर बताई गई सुविधाओं को उधार मांगने/उपयोग करने के लिये) ।

4 3 फर्नीचर एवं उपस्कर

कृपया वर्तमान फर्नीचर तथा संस्थान के लिये प्राप्त किये जाने वाले फर्नीचर का अनुमानित मूल्य बताएं (छात्रावासों को छोड़कर)

निम्नलिखित के लिये फर्नीचर	उपलब्ध स्थान	वर्तमान फर्नीचर का मूल्य	प्राप्त किये जाने वाले फर्नीचर का मूल्य	
			पहला वर्ष	दूसरा वर्ष
हाल/तथा प्रक्षागृह				
या सभा भवन				
कक्षाएं				
पुस्तकालय				
प्रयोगशाला/कार्यशाला				
कार्यालय तथा स्टाफ कक्ष				
प्राचार्य कार्यालय				
सामग्री उत्पादन प्रयोगशाला				
अध्यापक प्रशिक्षक				
कोई अन्य				

उत्पादन/संसाधन यूनिट तथा अन्य सम्बद्ध प्रयोगशालाओं के लिये उपलब्ध के यंत्र-संयंत्रों/उपस्करों का विवरण (नीचे दिये गये प्रपत्र में उनकी सूची दें)।

क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या/सेट
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

5.0 कर्मचारीवर्ग की स्थिति (कृपया सम्बद्ध खाके भरें)

5.1 वर्तमान कर्मचारीवर्ग

इस समय सेवारत तथा नियुक्त होने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों का विवरण दें।

कर्मचारी वर्ग	सेवारत की संख्या		पूर्णकालिक कर्मचारियों का वेतनमान
	पूर्णकालिक	अंशकालिक	अतिथि
प्राचार्य/प्रोफेसर/निदेशक			
रीडर			
शिक्षा विषय लेक्चरर			
कार्य अनुभव वाले अध्यापक			
पुस्तकालयाध्यक्ष			
तकनीकी सहायक			
कार्यालय सहायक			
हेल्पर (सहायक कर्मी)			
कोई अन्य			

(वर्तमान अध्यापक वर्ग के नाम, शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव का विवरण संलग्न करें)।

5.2 पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के लिये नियुक्त कर्मचारी वर्ग (यदि आवश्यकता हो तो अलग कागज का प्रयोग करें)।

पत्राचार /दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिये नियुक्त संकाय कर्मचारी वर्ग का विवरण दें।

संकाय/कर्मचारी	नियमित पूर्णकालिक नियुक्ति			
	संख्या	योग्यताएं	आयु	नियुक्ति की तारीख
प्रोफेसर (पूर्णकालिक नियुक्ति)				
रीडर (पूर्णकालिक)				
लेक्चरर (पूर्णकालिक)				
अन्य अंशकालिक				
संकाय सदस्य				

क्या अध्यापन-कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी वर्ग की योग्यताएं विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार है ?

जी हां ☐ जी नहीं ☐

5.3 अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की भर्ती

कृपया आवश्यक अथवा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की भर्ती के लिये अपनी योजना का ब्योरा दें ।

पदनाम	संख्या	भर्ती का वर्ष	वेतनमान

5.4 शिक्षा स्नातक (बी० एड०) में प्रवेश की योग्यता के मानदण्ड

(i) सरकारी सहायता–प्राप्त या सरकार द्वारा संचालित सम्बद्ध माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापकों की भर्ती के लिए योग्यताओं का विवरण दें ।

योग्यताएं (डिग्री) % अंक

(1) शैक्षिक .....

(2) पेशेवर .....

(3) अन्य .....

(ii) शिक्षा–स्नातक (बी० एड०) पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम आवश्यक शर्तें और योग्यताओं का विवरण दें ।

	कक्षा में आमने–सामने (नियमित)	पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा
ग्रेड % अंक		
विद्यालयों में अध्यापन का अनुभव		
अधिकार क्षेत्र		
अन्य		

(iii) क्या आपके विश्वविद्यालय या राज्यद्वारा शिक्षा स्नातक (बी० एड०) में प्रवेश के लिये कोई परीक्षा आयोजित की जाती है ?
जी हां ☐ जी नहीं ☐

(iv) यदि हां, तो निम्न में से उन विषयों पर सही ✓ का निशान लगायें, जिन्हें उस परीक्षा में प्रयोग में लाया जाता है ।

	आमने–सामने		पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा	अध्यापक
(1) सामान्य ज्ञान	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(2) सामान्य मानसिक योग्यता	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(3) विषय ज्ञान	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(4) अध्यापन अभिरुचि	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(5) सामाजिक संवेदना चेतना	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(6) अध्यापन में रुचि	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐
(7) कोई अन्य	जी हां ☐	जी नहीं ☐	जी हां ☐	जी नहीं ☐

5.5 प्रवेश के लिये स्वीकृत विद्यार्थी

उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें शिक्षा विषय में विभिन्न पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया अथवा प्रवेश दिया जाना है ।

	इस समय प्रवेश के लिये स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या	जिन्हें प्रवेश दिये जाने का विचार है
पाठ्यक्रम		
शिक्षा स्नातक (बी० एड०)		
कोई अन्य		

5.6 चयन समिति

कृपया अध्यापक वर्ग के रिक्त स्थानों पर भर्ती के लिये चयन समिति के गठन की विधि का ब्यौरा दें।

6.0 वित्तीय प्रबन्धन

6.1 सरकारी

यदि प्रबन्ध सरकार/स्थानीय स्वायत्त/प्रशासन/बोर्ड के अधीन है तो अध्यापक शिक्षा विभाग/शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित मदों के संबंध में बजट में कितना प्रावधान रहता है।

(1) वेतन तथा भत्ते (पूर्णकालिक) .....

(2) अतिथि सकाय/सहयोगी के लिए मानदेय .....

(3) उपस्कर, फर्नीचर तथा पुस्तकें .....

(4) कोई अन्य मद .....

(5) कुल वार्षिक बजट .....

6.2 निजी संस्थाएं

यदि प्रबन्ध निजी संस्था द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित सूचना दें :

(1) वृत्तिशन (एण्डाउमेंट) निधि की राशि ..... जमा की विधि .....

(2) आरक्षित निधि की राशि ..... जमा की विधि .....

क्या यह जमा राशि तीन माह के वेतन के लिये पर्याप्त है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(3) पिछला अंतिम वार्षिक बजट :

आय

व्यय

(निधि में वर्तमान अधिशेष का बैंक से प्राप्त प्रमाणपत्र तथा अन्तिम बजट का सार-संक्षेप संलग्न करें)

(4) आय के अन्य स्रोतों का, यदि कोई हैं तो उल्लेख करें।

(5) कृपया बताएं कि आय तथा व्यय के बीच यदि कोई घाटा रहता है तो वह किस प्रकार पूरा किया जाता है। किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है; साथ ही यह भी बताएं कि यदि कोई अधिक राशि बचती है तो उसे किस रूप में उपयोग में लाया जाता है।

क्रमांक	आय का स्रोत	वार्षिक आय
1		
2		
3		
4		

6.3 वार्षिक शुल्क

अपने विश्वविद्यालय के शिक्षा स्नातक (बी० एड०) दूरस्थ तथा आमने-सामने के शिक्षा स्नातक (बी०एड०) पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क का विवरण दें।

मद	पाठ्यक्रम	
	शिक्षा स्नातक (बी० एड०) शिक्षा आमने-सामने का माध्यम (12 माह का शुल्क)	शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा (12 माह का शुल्क)
12 माह का शिक्षा शुल्क		
प्रति वर्ष सामग्री (मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, पुस्तकालय तथा डाकखर्च आदि शुल्क/खर्च		
अन्य सभी शुल्क/खर्च		
प्रति वर्ष कुल शुल्क		

7.0 अन्य पाठ्यक्रम

7.1 यदि संस्थान द्वारा जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया जा रहा है यदि उसके अतिरिक्त किसी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षण देने की व्यवस्था है तो उनमें से हरएक का विवरण दें।

(यदि आवश्यक हो तो विवरण अलग कागज पर देकर संलग्न करें)

शीर्षक	प्रारम्भ करने का वर्ष	अवधि	वर्तमान प्रशिक्षु क्षमता	प्रस्तावित प्रशिक्षु क्षमता
नर्सरी				
प्राथमिक				
माध्यमिक				
कोई और				

8.0 अध्ययन तथा क्षेत्रीय शिक्षण-अभ्यास (प्रेक्टिकम) केन्द्र

8.1 अंतरंग अध्यापन (इंटर्नशिप)/ पर्यवेक्षित अध्यापन की अवधि दें दिनों की संख्या.....

8.2 अध्ययन केन्द्रों का स्वरूप तथा ब्यौरा :—

क्या वे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हैं	जी हां ☐	जी नहीं ☐
सम्बद्ध महाविद्यालयों (कालेजों) में स्थित हैं।	जी हां ☐	जी नहीं ☐

8.3 सम्पर्क कार्यक्रम में शिक्षा देने वाले अध्यापक की निर्धारित योग्यताएं क्या हैं ?

व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी० सी० पी०) केन्द्रों का विवरण दें

क्रमांक	पी० सी० पी० केन्द्र का नाम	प्रत्येक केन्द्र में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापन समय (दिन×घन्टे)	विद्यार्थियों के लिये आयोजित निदर्शन/ प्रायोगिक कार्यक्रम (घन्टों में)
			घन्टे	घन्टे

अध्यापकों की केन्द्रवार सूची संलग्न करें :

8.4. अध्ययन केन्द्रों के कार्य-संचालन का विवरण दें।

अध्ययन केन्द्रों की संख्या	प्रतिदिन कार्य घन्टे	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	परामर्श समय की अवधि	प्रति सप्ताह कार्य-दिवस

अध्ययन केन्द्रों और उनसे सम्बद्ध कर्मचारी वर्ग की सूची संलग्न करें

9.0. अधिकार क्षेत्र

9.1. (क) क्या विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजक निकाय (संस्था) अधिनियम में अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी भौगोलिक क्षेत्र का कोई प्रावधान है ?

जी हां ☐ जी नहीं ☐

(ख) आपके विश्वविद्यालय अधिक्षेत्र में कौन से जिले/क्षेत्र सम्मिलित हैं ? (सूची संलग्न करें)

(ग) उन शिक्षा स्नातक (बी० एड०) विद्यार्थियों की संख्या और प्रतिशत बताएं जो अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं ।

	संख्या	प्रतिशत
(1) निर्धारित अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में	_____	_____
(2) अधिकार क्षेत्र से बाहर किन्तु राज्य के भीतर	_____	_____
(3) राज्य के बाहर	_____	_____

9.2. उन विद्यार्थियों की संख्या दें जिन्हें शिक्षा के विभिन्न पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया है अथवा प्रवेश दिया जाना है ।

पाठ्यक्रम	उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें इस समय प्रवेश दिया गया है	उनकी संख्या जिन्हें प्रवेश देने का विचार है ।
शिक्षा स्नातक (बी० एड०)		
कोई और		

9.3. प्रवेश एवं परीक्षा की अवधि को छोड़कर पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा की अवधि बताएं

पाठ्यक्रम	अवधि माह में	सत्र प्रारम्भ होने की तारीख	वह माह जिसमें सत्र का समापन हुआ
शिक्षा स्नातक (बी० एड०)			
नियमित (आमने-सामने)			
कोई और			

10.0. अतिरिक्त जानकारी

10.1(1) स्व-अध्ययन अथवा अध्ययन के निमित्त क्या मुद्रित सामग्री तैयार है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(2) क्या प्रयोग के लिये यह समय पर तैयार हो सकेगी? जी हां ☐ जी नहीं ☐

10.2. क्या आपके पास विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामग्री की व्यवस्था है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

10.3. क्या श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामग्री के पैकेज निम्नलिखित से परामर्श करके तैयार किये गये हैं?

(1) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (इग्नू) ☐

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जन संचार केन्द्र (यू० जी० सी० मीडिया सेन्टर) ☐

(3) आंतरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी० आई० ई० टी०) ☐

(4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन० सी० टी० ई०) ☐

(5) कोई और ☐

10.4(1) क्या विद्यार्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नियमित रूप से नियत कार्य (एसाइनमेन्ट्स) दिया जाता है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(2) क्या नियत कार्य (एसाइनमेन्टस) को निर्धारित अवधि में परिशोधन (फीडबैक) के लिए वापिस भेज दिया जाता है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

(3) अन्तरंग शिक्षण (इन्टर्नशिप) की अवधि के दौरान छात्र अध्यापक द्वारा कितने पाठ पढ़ाये जाते हैं ? जी हां ☐ जी नहीं ☐

10.5 इन पाठों में से कितने पाठों का पर्यवेक्षण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है:

	योग्यता प्राप्त स्कूल अध्यापक	योग्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षक
(क) पाठ पर्यवेक्षण		
(ख) पाठ–नियोजन		
(ग) यूनिट नियोजन		
(घ) यूनिट परीक्षण परीक्षा		
(ङ) शिक्षा प्रौद्योगिकी सोफ्टवेयर		
(च) केस स्टडी कार्यवाही अनुसंधान सर्वेक्षण		
(छ) सह पाठचर्या गतिविधियों में भागीदारी नेतृत्व		
(ज) अन्य स्पष्ट करें		

10.6 विभाग द्वारा आयोजित सम्पर्क कार्यक्रम की अवधि क्या है? ——————दिन

अनिवार्य प्रतिशत ————

स्वीकृत छूट सीमा ————

10.7. अपनी परीक्षाओं की अवधि बताएं

(1) सिद्धान्त विषय की परीक्षा की अवधि ——————दिन

(2) प्रायोगिक परीक्षा की अवधि ——————दिन

10.8 क्या सिद्धान्त विषय की परीक्षा प्रवेश की तारीख के बाद 24 माह की अवधि पूरी हो जाने पर ली जाती है? जी हां ☐ जी नहीं ☐

परिशिष्ट—II

मानक और मानदण्ड

(शिक्षा स्नातक (बी० एड०) पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा)

माध्यमिक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली

1.0 भूमिका

शिक्षा का कोई कार्यक्रम हो उसमें अध्यापक की भूमिका बड़ी ही अहम रहती है। हमारे अध्यापक उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति तो होने ही चाहिएं जिनमें न केवल उच्च स्तर की शैक्षिक योग्यता एवं व्यावसायिक कुशलता भी हो बल्कि जिनमें अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा एवं उत्साह, उत्तरदायित्व की भावना एवं विद्यार्थियों के ज्ञान, क्षमता, योग्यता तथा उपलब्धि के स्तर में निरन्तर वृद्धि करते रहने के साथ ही उन्हें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और जीवन की वास्तविकताओं से स्वयं संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता भी हो। इस प्रकार के सुयोग्य अध्यापकों के बिना शिक्षा के स्तर में सुधार होने की कोई संभावना नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उल्लेख है : "अध्यापक की स्थिति किसी भी समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मनीषा का प्रतिबिम्ब कही जा सकती है, कहा यह जाता है कि कोई भी समाज अपने अध्यापकों के स्तर से अधिक ऊपर नहीं उठ सकता।"

दिसम्बर, 1993 में संसद के 1993 के अधिनियम संख्या 73 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को "देशभर में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में सुनियोजित एवं समन्वित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने, अध्यापक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र और तत्संबंधी मानकों और मानदण्डों के विनियमन एवं उनके स्तर को उचित ढंग से बनाये रखने के लिए" सांविधिक प्राधिकार दिया गया था। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कुछ विनिर्दिष्ट कार्यों का विवरण इस प्रकार है :

— अध्यापक शिक्षा के लिए किसी भी विशेष श्रेणी के पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण के मानकों और उनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के स्तर के मानदण्डों का निर्धारण, एवं प्रत्याशियों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु एवं प्रमाणन की विधि का निर्धारण;

— मान्यता-प्राप्त संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा-शुल्क तथा अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों का निर्धारण;

— परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, दिशानिर्देशों और मानदण्डों की समय-समय पर जांच और समीक्षा तथा मान्यता-प्राप्त संस्थानों को उचित परामर्श देना;

— उपयुक्त कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पद्धतियों, मानकों एवं ऐसे तंत्र का विकास करना जो मान्यता-प्राप्त संस्थानों को अपने उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए बाध्य कर सके;

— अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण की रोकथाम की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाना।

अपने इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति की दिशा में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए मानक एवं मानदण्ड तैयार किए गए हैं। इन मानकों एवं मानदण्डों में उन "शर्तों" को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता, अनुमति और किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की यह मान्यता है कि विद्यालयों में कार्य करने वाले अध्यापकों की सुविधा की दृष्टि से संवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक उपयोगी एवं लाभप्रद माध्यम सिद्ध हो सकती है। यह माध्यम विद्यालय प्रणाली में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और उनकी निरन्तर शिक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकता है। किन्तु जो व्यक्ति अध्यापक नहीं है उनके लिए इसे एक सेवा से पहले शिक्षा का माध्यम बनाया जाना अथवा अध्यापक के रूप में नौकरी के लिए अध्यापक शिक्षा विषय में प्राप्त डिग्री/प्रमाणपत्र को एक योग्यता के रूप में मान्यता दिए जाने को प्रोत्साहित किया जाना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के लिए जहां कहीं भी इस माध्यम को उपयोग में लाया जाए, इसके लिए आवश्यक निर्धारित शर्तों और अपेक्षाओं की पूर्ति होना अनिवार्य है।

इस दस्तावेज में अध्यापक शिक्षा विषय पर शिक्षा-स्नातक (बी. एड.) की उपाधि के लिए पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी मानक एवं मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं। ये मानक उन सभी संस्थानों पर लागू होंगे जिन्होंने पत्राचार/दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की है चाहे यह उस सम्बन्धित संस्थान का एक अकेला ही शिक्षा कार्यक्रम हो या उनके द्वारा जिन अन्य भवन अनेकों कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया हो उनमें से क्यों न हो।

जहां तक भवन और अन्य भौतिक सुविधाओं का प्रश्न है इन कार्यक्रमों के लिए भी उन्हीं का लाभ उठाया जा सकता है जो अन्य कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है; किन्तु शर्त यह है इससे पाठ्यक्रम के हितों का बलिदान नहीं होना चाहिए।

मानकों के अंतर्गत (क) नोडल केन्द्रों, (ख) व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम केन्द्रों (पी. सी. पी. सेन्टर्स) (ग) अध्ययन केन्द्रों तथा (घ) क्षेत्रीय शिक्षण-अभ्यास केन्द्रों पर उपलब्ध सम्मिलित सुविधाओं पर विचार किया जाएगा।

इन मानकों का उल्लेख दो श्रेणियों/स्तरों के अंतर्गत किया गया है (1) अनिवार्य मानक वे न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें सभी संस्थानों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता/अनुमति देने तथा अपने संस्थानों/पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश देने का पात्र होने के लिए पूरा करना होगा; और (2) अपेक्षित मानक वे लक्ष्य और दिशा-निर्देश हैं जिन्हें कम से कम उचित समय के भीतर संस्थानों को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों द्वारा पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों को औपचारिक मान्यता दिया जाना कार्य-निष्पादन के अन्य मानदण्डों को पूरा करने के अतिरिक्त अनिवार्य मानकों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

2.0 संक्षिप्त दिशा-निर्देश

संवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा-स्नातक (बी.एड.) के लिए विनियमों के रूप में दिशा-निर्देश

पाठ्यक्रम शीर्षक—माध्यमिक अध्यापकों का शिक्षा-स्नातक दूरस्थ शिक्षा माध्यम

* अधिकार क्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो प्रवेश के समय उन विद्यालयों में काम कर रहे हैं जो अधिनियम/राज्य सरकार द्वारा उसके लिए निर्धारित भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं ।

* प्रवेश के लिए योग्यताएं : प्रवेश के लिए स्नातक अथवा अन्य स्तरों पर प्राप्त अंक के रूप में प्रवेश की योग्यताएं वही हैं जो राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों की भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं अथवा जो नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित हैं । प्रवेश एक लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद दिया जाएगा ।

* सीटों की संख्या : कोई भी विश्वविद्यालय किसी एक निर्धारित शिक्षा-वर्ष में 500 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं देगा ।

* अवधि : शिक्षा स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रमों के लिए 24 माह; प्रवेश परीक्षा, प्रवेश आदि की औपचारिकताओं में व्यय होने वाले समय के अतिरिक्त।

* शिक्षा-शुल्क : वही जो विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षा-स्नातक (बी. एड.) के प्रत्याशियों पर लागू हैं । तथापि विद्यार्थियों से मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री (पैकेज), डाकखर्च, पुस्तकालय सेवा आदि का खर्च पूरा करने के लिये अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है ।

* पात्रता के मानदंड—उस अधिकार-क्षेत्र में स्थित, जिसकी व्याख्या ऊपर की गई है, मान्यता-प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर) में सेवारत केवल वही नियमित अध्यापक जिन्हें कम से कम तीन वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो ।

* कर्मचारी वर्ग का ढांचा—प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के लिये दस पूर्णकालिक संकाय सदस्य और अतिरिक्त दस ठोस योगदान देने वाले अंशकालिक संकाय सदस्य । नियमित पूर्णकालिक मूल संकाय सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/राज्य विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा । अंशकालिक संकाय सदस्यों की शैक्षिक योग्यताएं भी वही रहेंगी और 65 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को अंशकालिक संकाय सदस्यों के रूप में सहयोजित नहीं किया जा सकेगा ।

कार्यक्रम संघटक

* दूर दूरस्थ शिक्षा फोर्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री । मुद्रित सामग्री का समय से मूल्यांकन । मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाएगा ।

* वि. वि. अ. आयोग जन संचार केन्द्रों, आंतरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (सी. आई. ई. टी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से श्रव्यदृश्य वीडियो सामग्री (पैकेज) की व्यवस्था ।

* नियमित एसाइनमेन्ट्स जिनका निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी तरह मूल्यांकन होना आवश्यक । प्रत्येक सिमेस्टर में, और प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में एक निर्धारित एसाइनमेन्ट होगा ।

* 4 सप्ताह की अवधि का अंतरंग शिक्षण (इन्टर्नशिप), जिसके दौरान अध्यापक प्रशिक्षु कम से कम 40 पाठ, उस विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसमें वे काम कर रहे हैं, जिनमें से 10 पाठों को पढ़ाते समय प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालय विभागों के नियमित अध्यापक-प्रशिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा ।

* बारह सप्ताह, यथा प्रति दिन कम से कम 6 घंटे का 72 दिन का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम । यह कार्यक्रम किसी और द्वारा नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के योग्यता-प्राप्त अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा चलाया जाएगा । इस अवधि के दौरान यह जांच करने की दृष्टि से कि अपने अंतरंग-शिक्षण (इन्टर्नशिप) की अवधि में प्रत्याशियों ने अध्यापन कौशल में किस सीमा तक प्रवीणता हासिल कर ली है, विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा । किसी भी संपर्क कक्षा के एक समूह में 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षु नहीं रहेंगे ।

* परीक्षाएं उस अवधि को छोड़कर जो सम्पर्क कार्यक्रमों के लिये निश्चित है, परीक्षा के लिये विनिर्दिष्ट दिनों में ली जाएंगी । सम्पर्क कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी । उपस्थिति में कोई भी छूट सामान्य नियम के तौर नहीं बल्कि केवल अपवादस्वरूप ही दी जाएगी और छूट 20 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जा सकेगी।

3.0 लागत खर्च

(भवन सहित सभी वस्तुओं की लागत की गणना केवल 1994 के मूल्य-स्तर के अनुसार की जाएगी) ।

3.1 अनावर्ती खर्च

(1) निजी प्रबन्ध के अधीन कार्यरत संस्थानों के पास वृत्तिदान निधि एण्डाउमेन्ट के रूप में पांच लाख रुपये की राशि होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त दो लाख रुपये की आरक्षित निधि भी होगी ताकि उससे उनके सभी कर्मचारी वर्ग का तीन माह का वेतन पूरा हो सके । निधियों की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रखी जाएगी ।

(2) संस्थान का उपयुक्त भवन होने पर, जिसमें (क) शैक्षिक खण्ड, (ख) प्रशासकीय खण्ड तथा (ग) संसाधन खण्ड के लिये पर्याप्त स्थान हो और साज-सामान (फिटिंग) की व्यवस्था हो, दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान मिलेगा । दूरस्थ शिक्षा के कार्यों के सम्पादन के लिये अध्ययन केन्द्रों एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी. सी. पी.) केन्द्रों के साथ ही शैक्षिक, प्रशासकीय, तथा संसाधनों खण्डों का भी अपना महत्व है । भवन, पुस्तकों फर्नीचर, वृत्तिदान निधि आदि जैसी अनावर्ती वस्तुओं पर पर्याप्त लागत-खर्च का अनुमान है, कि इन पर 30 लाख रुपये की लागत आएगी ।

3.2 आवर्ती खर्च

वेतन (नियमित संकाय/कर्मचारी वर्ग)—वि० वि० अ० आयोग/सरकार के मानकों के अनुसार

	अनिवार्य	अपेक्षित
अन्य आवर्ती खर्च :	500 विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 800/- रु० की दर से 4 लाख रुपये	500 विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 1000/- रु० की दर से 5 लाख रुपये
पुस्तकालय पर व्यय पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं आदि	10,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 200/- रु० की दर से	15,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 300 रुपये की दर से

4.0 स्थान और भवन के मानक

4.1 भूखंड तथा स्थान

शैक्षिक, प्रशासकीय तथा संसाधन खंडों, और कुछ आवासीय क्वार्टरों के लिये पर्याप्त भूखण्ड की व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त भूखण्ड का उपलब्ध होना क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की संख्या आदि पर निर्भर करेगा।

	अनिवार्य	अपेक्षित
भूखण्ड :	3000 वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर

अच्छा तो यह होगा कि संस्थान ऐसे स्थान पर हो जहां का पर्यावरण शोरगुल एवं प्रदूषण से मुक्त हो। वहां परिवहन तथा संचार की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। पीने का पर्याप्त पानी और नियमित बिजली उपलब्ध रहनी चाहिए।

4.1.1 शैक्षिक खण्ड

सम्पर्क कार्यक्रमों को चलाने की कक्षाओं के लिये कमरों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। सामान्यतः इन कक्षाओं के कमरों में (50) विद्यार्थियों के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर स्थान रहना चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में चर्चा-परामर्श तथा विचारों के आदान-प्रदान (स्मॉल ग्रुप डिसकशन्स) तथा व्यक्तिगत स्व-अध्ययन आदि के लिए कुछ विद्यार्थी-अध्ययन-कक्ष भी रहने चाहिये। सामान्य बैठकों, परीक्षाओं, तथा अन्य गतिविधियों के लिये 100 वर्ग मीटर के दो ऐसे हालों की आवश्यकता भी है जिनका उपयोग बहुउद्देश्यीय कार्यों के लिये किया जा सकता है।

पाठ्यचर्या की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त सम्बद्ध प्रयोगशालाओं/विज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, कार्यशालाओं, शिक्षा-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा सामाजिक विज्ञान एवं चर्चा-विमर्श एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिये छोटे-छोटे अध्ययन समूहों की व्यवस्था करने (साइंस-कम-स्माल ग्रुप इंटरऐक्शन स्टडीज) के लिए सुविधाएं रहनी चाहिए। विद्यार्थियों के अतिरिक्त संकाय सदस्यों व पाठ्यक्रम विकास दलों द्वारा इन सुविधाओं का नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

4.1.2 प्रशासकीय खण्ड के लिये भवन में स्थान

	मद	तलक्षेत्र	
1.	प्राचार्य/प्रधान का कक्ष	20 वर्ग मीटर	40 वर्ग मीटर
2.	स्टाफ रूम	60 वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर
3.	कार्यालय कक्ष (दो)	2×40 वर्ग मीटर	2×50 वर्ग मीटर
4.	भंडार कक्ष (सामान्य)	25 वर्ग मीटर	40 वर्ग मीटर
5.	उत्पादित सामग्री के भंडारण के लिए एक भंडार कक्ष	50 वर्ग मीटर	75 वर्ग मीटर

4.1.3 नोडल केन्द्र

नोडल केन्द्र विश्वविद्यालय होंगे, जिन पर पाठ्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व रहेगा । यह केन्द्र (क) पाठ्यक्रम सामग्री की रूपरेखा तैयार करने, योजना बनाने तथा उसका विकास करने (ख) परिसर पाठ्यक्रम अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी. सी. पी.) आयोजित करने (ग) अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्र में प्रायोगिक शिक्षा-केन्द्रों के लिये आवश्यक सभी प्रबन्ध करने तथा (घ) सभी कार्यक्रम संचटकों के लिये धन, मार्गदर्शक, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा ।

4.1.4 अध्ययन केन्द्र

ये केन्द्र नोडल केन्द्र के भीतर या बाहर कहीं भी रह सकते हैं । अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों या कालेजों में स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु वे विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर की क्षेत्र में ही होने चाहियें । विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य (एसाइनमेन्ट्स) तथा उत्तर-सामग्री, ट्यूटोरियलों, परामर्श, समूह-चर्चा, व्यक्तिगत अध्ययन आदि आयोजित करने के लिये तथा प्रदर्शनार्थ पर्याप्त स्थान एवं सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए ।

4.1.5 व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (पी. सी. पी.) केन्द्र

व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम नोडल केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों में आयोजित किये जाने चाहिए । इन केन्द्रों में पर्याप्त श्रव्य-दृश्य उपस्करों की व्यवस्था रखनी होगी । इन केन्द्रों के लिये जो कर्मचारी रखे जाएं उनमें एक समन्वयक (कोआर्डिनेटर), दस अध्यापक तथा तकनीकी कार्य के लिये सहायक कर्मचारी रहें । समन्वयक कक्ष, तथा भंडार कक्ष आदि के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए ।

4.1.6 क्षेत्रीय शिक्षण अभ्यास (प्रेक्टीकल) केन्द्र

शिक्षण-अभ्यास, कार्य अनुभव, कार्य अनुसन्धान अध्ययन तथा नव-उन्मेषी (इनोवेटिव) पाठ्यक्रम अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित करने के लिये ये केन्द्र कुछ चुने हुए विद्यालयों में रहेंगे । यह आवश्यक होगा कि पहले वर्ष के और दूसरे वर्ष के 500 अध्यापक प्रशिक्षुओं (ट्रेनिज) के लिये 50 क्षेत्रीय शिक्षण-अभ्यास केन्द्रों की व्यवस्था रखी जाय ।

4.1.7 भवन तथा जन सुविधाओं के लिये स्थान

महिला विद्यार्थियों के लिये एक महिला कक्ष (कामन रूम) का होना अनिवार्य है जिसके साथ प्रसाधन कक्ष भी रहना चाहिए । पुरुष तथा महिला वर्ग के विद्यार्थियों के लिये कम से कम 25 वर्ग मीटर के अलग अलग दो प्रसाधन कक्षों का होना भी आवश्यक है । कर्मचारी वर्ग के लिए एक अतिरिक्त प्रसाधन-कक्ष भी होना चाहिए । मिलने आने वाले अभिभावकों/माता-पिताओं के लिये एक बड़ा कक्ष भी रहना चाहिए जिसमें प्राथमिक उपचार सुविधाओं सहित अन्य जन-सुविधाएं रहनी चाहिए ।

पीने के पानी की सुविधाओं का होना आवश्यक है । अच्छा तो यह रहे कि पीने के पानी के लिए वाटर-कूलर रहे ।

4.1.8 प्रयोगशालाएं

प्रयोगशालाएं दो प्रकार की रहेंगी यथा सामान्य प्रयोगशालाएं और पाठ्यक्रम-विशेष प्रयोगशालाएं । सामान्य प्रयोगशालाएं हैं: मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक, प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं आदि । विज्ञान प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला जैसी पाठ्यक्रम-विशेष प्रयोगशालाओं का स्वरूप क्या हो यह केवल उसी स्थिति में आवश्यक समझी जाएगी जबकि वह उस प्रकार की हो जो पाठ्यक्रम-विशेष के लिये उपयोगी हो ।

4.1.9 (1) सामान्य प्रयोगशालाएं

(क) मनोविज्ञान-प्रयोगशाला

पत्राचार/दूरस्थ अध्यापक शिक्षा की सुविधा वाले संस्थानों में 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें से 15 वर्ग मीटर में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक योग्यता मूल्यांकन के उपयोग में आने वाले परीक्षण तथा अन्य यंत्रों के रखने के काम में आने वाला भंडारकक्ष रहेगा । शेष 60 वर्ग मीटर स्थान समूहों में काम करने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक काम के लिये उपयोग में लाया जाएगा । अच्छा तो यह होगा कि अलग से एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी हो जिसमें अद्यतन यंत्र-संयंत्रों (उपस्करों) तथा अन्य सामग्री आदि की व्यवस्था रहे ।

(ख) कार्य-अनुभव प्रयोगशाला

जिस क्षेत्र को व्यवहारिक कार्य अनुभव ग्रहण करने के लिये चुना जाए उसमें प्रायोगिक परीक्षण करने की सुविधा के लिए संस्थान में 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक कार्य-अनुभव प्रयोगशाला होनी चाहिए । कार्य अनुभव प्रयोगशाला में उस विषय से सम्बन्धित कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिये उपयोगी यंत्र-संयंत्र (उपस्कर) रहने चाहिए जिसमें शिक्षण की संस्थान में व्यवस्था की गई है ।

(ग) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

60 वर्ग मीटर का एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें पर्याप्त श्रव्य-दृश्य तथा जनसंचार यंत्र-संयंत्रों की व्यवस्था रहे । यह कमरा छोटे छोटे समूह में विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक कार्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए । अध्यापन कार्य में सहायता देने वाली सामग्री/वस्तुओं को तैयार करने के लिये भी विद्यार्थी इस प्रयोगशाला का उपयोग कर सकते हैं । संस्थान के कर्मचारी शिक्षण के काम में आने वाली सामग्री का उत्पादन करने के लिये इस प्रयोगशाला का उपयोग कर सकेंगे ।

(घ) पुस्तकालय एवं वाचनालय

संस्थान में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का होना अनिवार्य है । इसमें वाचनालय के लिये और पुस्तकों को रखने की व्यवस्था के लिये पर्याप्त स्थान रहना चाहिए । उपयुक्त तो यह होगा कि संकाय-सदस्यों के अध्ययन के लिए पुस्तकालय में छोटे छोटे केबिन भी बने रहें ।

4.1.9 (2) पाठ्यक्रम विशेष प्रयोगशालाएं

(क) 75 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक विज्ञान-प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें से लगभग 15 वर्ग मीटर में यंत्र-संयंत्रों और रसायनों को रखने का भंडार रहेगा और 60 वर्ग मीटर प्रायोगिक परीक्षण के कार्य के लिये रहेगा । प्रयोगशाला में काम के उपयोग में आने वाली टेबिलें पर्याप्त संख्या में होनी चाहिएं । जब भी खाली रहें विज्ञान प्रयोगशाला को विज्ञान की शिक्षा से सम्बन्धित अन्य पाठ्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को विकसित करने के उपयोग में लाया जा सकता है ।

(ख) भाषा प्रयोगशाला

भाषा प्रयोगशाला ऐसे कक्ष में रखी जानी चाहिए जो शान्त-एकान्त और शोरगुल से मुक्त हो और जिसमें श्रवण-यंत्रों की सुविधा हो । भाषा प्रयोगशाला में टेपरिकार्ड करने और टेप सुनने के लिये टेप रिकार्डर जैसे यंत्र-संयंत्र (उपस्कर), साथ ही मास्टर कैसेट, मुद्रित तथा रिकार्ड की गई सामग्री (सोफ्टवेयर) रहनी चाहिए । भाषा सीखने की सुविधाएं हर व्यक्ति को साथ ही कम से कम दस विद्यार्थियों के बड़े दलों को एक साथ उपलब्ध रहनी चाहिए । उपयुक्त तो यह भी होगा कि वीडियो तथा जनसंचार की तरह-तरह की सुविधाएं भी रहें ।

(ग) सामाजिक विज्ञान एवं लघु समूह प्रयोगशाला

समाज की यथार्थ परिस्थितियों का सामना करने के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चेतना, मूल्य आधारित शिक्षा तथा सामाजिक व्यवहारकुशलता के विकास और उन्हें समझने की दृष्टि से स्थापित दूरस्थ अध्यापक शिक्षा प्रणाली वाले संस्थानों में जिन्होंने सामाजिक विज्ञानों में विशेषज्ञता को अपना लक्ष्य बनाया है, अपनी सामाजिक विज्ञान एवं लघु समूह प्रयोगशाला होनी चाहिए । प्रयोगशाला प्रभावपूर्ण ढंग से काम कर सके इसके लिये उसमें निर्दिष्ट विषय का अध्ययन (केस स्टडीज) करने, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, चर्चा के दौरान उत्तर-प्रत्युत्तरों के विश्लेषण तथा विशिष्ट पर्यवेक्षण यंत्रों की सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिए ।

(घ) कम्प्यूटर प्रयोगशाला

इस प्रयोगशाला के लिए 50 वर्ग मीटर का एक कमरा चाहिए जिसमें कम से कम पांच व्यक्तिगत कम्प्यूटर (पी.सी.) रहें । इस सुविधा के रहने पर विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रायोगिक पक्ष सीखने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । सामान्य विद्यार्थियों के लिये भी इसका होना उपयुक्त रहेगा । उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कम्प्यूटर में शिक्षा देना अपना लक्ष्य बनाया है इस प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है ।

4.1.10 सामग्री उत्पादन केन्द्र—उत्पादन खण्ड

पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वाले संस्थान, प्रशिक्षण, अध्यापन, शिक्षा ग्रहण करने और मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री तैयार करते हैं और उसे उपयोग में लाने का काम करते हैं । इस कार्यक्रम की सफलता यही है कि इसकी गुणवत्ता अच्छे स्तर की हो, यह अधिक मात्रा में हो और भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री तैयार की जाए । उपयुक्त तो यही होगा कि इस केन्द्र में लेजर प्रिन्टर के साथ डी.टी.पी., डाट मैट्रिक्स, जेरोक्स मशीन, इलक्ट्रानिक टाइपराइटर जैसे यंत्र-संयंत्र तथा मुद्रण की सुविधा उपलब्ध रहे ।

यह भी वांछनीय है कि श्रव्य तथा दृश्य (ओडियो एण्ड वीडियो) टेप तैयार करने वाली कार्यशालाएं भी रहें । ओडियो कैसेट तैयार करने वाली कार्यशाला में ओडियो टेप रिकार्डिंग मशीनें, उच्च श्रेणी के बहुत से टेप तैयार करने के लिये ओडियो कैसेट, साउण्ड डबिंग यंत्र-संयंत्र तथा सम्पादन के काम में आने वाली मशीनों की आवश्यकता रहती है । दृश्य सामग्री तैयार करने के लिये वीडियो उत्पादन कार्यशाला भी साथ में हो जिसमें वीडियो कैमरे, प्रकाश तथा ध्वनि संयंत्र, वी.सी.आर., सम्पादन यंत्र-संयंत्र (उपस्कर) रहें ।

4.2 आवासीय क्षेत्र के लिये भवन

4.2.1 कर्मचारी आवास-गृह (स्टाफ क्वार्टर) अनिवार्य परिसर में प्राचार्य/निदेशक के निवास की व्यवस्था होनी चाहिए । अपेक्षित : अध्यापक वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिये क्वार्टर । जिन क्षेत्रों में रहने के मकानों की गंभीर समस्या है सभी कर्मचारियों के लिये (अध्यापक वर्ग तथा गैर-अध्यापक वर्ग दोनों के लिए) क्वार्टरों की व्यवस्था की जा सकती है ।

4.2 2 कर्मचारी आवासगृह (स्टाफ क्वार्टर्स) के मानक

पद	संख्या
प्राचार्य/निदेशक (प्रोफेसर पद के समक्ष) (एक)	1
प्रोफेसर (एक)	1
रीडर (दो)	2
लेक्चरर (सात)	7
तकनीकी सहायक कर्मचारी (दस)	10
सहायक कर्मी (हैल्पर) (पांच)	5

4.3 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र), पुस्तकों तथा फर्नीचर के मानक

4.3 1 विज्ञान प्रयोगशाला के लिये उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) अनिवार्य

नोडल केन्द्रों को विभिन्न विद्यालय स्तरों पर निर्धारित परीक्षण करने के लिए आवश्यक सभी विज्ञान यंत्र-संयंत्रों के कम से कम एक सेट का प्रबन्ध करना चाहिए। रसायन और दूसरे यंत्रसंयंत्रों (उपस्करों) के लिये रखी गई शेल्फ और आलमारी में सभी आवश्यक रसायन उपलब्ध रहने चाहिएं ।

अपेक्षित

कुछ यंत्र-संयंत्रों के अधिक सेटों का प्रबन्ध रखा जा सकता है ताकि एक से अधिक प्रशिक्षु एक ही समय में वहीं परीक्षण कर सकें । उच्च स्तर के तथा जिनमें कुछ नई दृष्टि हो, ऐसे परीक्षणों के लिए भी कुछ यंत्र-संयंत्र रखे जा सकते हैं ।

4.3.2 मनोविज्ञान प्रयोगशाला के लिये उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी साधारण परीक्षणों के लिए यंत्र-संयंत्र।

अनिवार्य

बुद्धि परीक्षण (निष्पादन, अमौखिक एवं मौखिक), अभिवृत्ति परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट), व्यक्तित्व का स्वरूप, मनोवृत्ति परीक्षण तथा रुचि एवं अभिरूचियां।

अपेक्षित

उक्त परीक्षण अनेक बार, संवेदी यंत्र (सेंसरी मोटर) परीक्षण (तीक्ष्णता, भेद-विभेद विवेक, समन्वय तथा अन्यमनस्कता — विकर्षण आदि)।

4.3.3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिये उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)

अनिवार्य

आडियो कैसेट रिकार्डर, स्लाइड और फिल्म दिखाने वाला प्रोजेक्टर (स्लाइड-कम-फिल्म-स्ट्रिप प्रोजेक्टर), 35 मि.मी. स्टिल कैमरा, खाली ओडियो कैसेट तथा चार्ट और स्लाइड्स तैयार करने के लिये आवश्यक कला-सामग्री।

अपेक्षित

रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर. एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, वीडियो कैसेट, कम्प्यूटर, पी.सी.।

4.3.4 बहुउद्देश्यीय कार्यशाला एवं कार्य-अनुभव सम्बन्धी कार्यों के लिये उपस्कर (यंत्र-संयंत्र)।

अनिवार्य

दो सेट हाथ के काम के औजार की, दो सेट माली के औजार, संस्थान द्वारा कुछ अन्य प्रकार के कार्यों में अनुभव के लिये दूसरे आवश्यक यंत्र-संयंत्र।

अपेक्षित

हाथ से काम करने के औजारों के काफी सेट

4.3.5 खेलकूद का सामान और उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) उपयुक्त तो यह होगा कि संस्थान के पास अपना खेलकूद और शारीरिक क्रीडाओं में काम आने वाला साधारण सामान/यंत्र-संयंत्र रहे। इनका उपयोग खेलकूद अथवा शारीरिक क्रीडाओं के अभ्यास के लिए या खेल-आधारित शिक्षण तथा सम्बन्धित खेलों में खेलों को वास्तविक रूप से खेलने की विधि पर अनुसंधान करने के कार्य के लिए भी किया जा सकता है।

4.3.6 पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए मानक

अनिवार्य

प्रारम्भ में पुस्तकालय में माडूल्स एवं पाठ्यपुस्तकों के सेट पर्याप्त संख्या में रहने चाहिएं। उपयुक्त तो यह रहेगा कि 500 विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए कम से कम 100 सेट रहें। इनके अलावा पाठ्यपुस्तकों एवं संदर्भ-ग्रंथों सहित कम से कम 5000 पुस्तकें और रहनी चाहिए। संस्थान को कम से कम एक दर्जन पत्र-पत्रिकाएं (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अपेक्षिता

पाठ्य-पुस्तकों एवं संदर्भ-ग्रंथों सहित कम से कम 7000 पुस्तकें, साथ में प्रति वर्ष कम से कम 100 पुस्तकों की वृद्धि करने की व्यवस्था। उसे कम से कम 15 पत्र-पत्रिकाएं मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से निर्दिष्ट कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने और उनमें नई दृष्टि पैदा करने में सहायता मिलेगी।

4.3.7 फर्नीचर के लिए मानक

संस्थान के भवन में जितने भी कक्ष हैं उन सभी में पर्याप्त और उचित ढंग का फर्नीचर रहना चाहिए। संस्थान के भिन्न-भिन्न कक्षों के लिए फर्नीचर के मानक नीचे दिए जा रहे हैं।

मानक

फर्नीचर का स्वरूप	अनिवार्य	अपेक्षित
1	2	3
1. कक्षाएं : दस प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं एक साथ नहीं रखी जानी चाहिएं। अध्यापक के लिये मेज तथा कुर्सी, ब्लैकबोर्ड	प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 1 सेट × 50 सेट प्रत्येक कक्षा के लिये—1 सेट (2-5 मी० × 1 मी० × 1 मी०) एक	कक्षाओं के लिये 75 सेट अच्छे आकार के एक
2. सेमिनार कक्ष : विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिये मेज और कुर्सियां	इतनी जो 100 विद्यार्थियों तथा 10 अध्यापकों के लिये पर्याप्त रहें	इतनी जो अधिक अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त रहें
3. मंच सहित हाल : (एक) तथा कुर्सियां	मंच (3 × 6 × 0 5 मी०) हाल इतने बड़े आकार का जिसमें 500 विद्यार्थियों के लिये स्थान रहे	इतने बड़े आकार का जिसमें 800 विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिये स्थान रहे

4.	प्रयोगशाला : (विज्ञान, मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रौद्योगिकी) काम की टेबिल (1.25×0.9×0.1) स्टूल (0 6 ऊंचाई) प्रदर्शन टेबिल तथा कुर्सी लोहे की अलमारी स्टोरेज रैक्स	 प्रत्येक प्रयोगशाला में 5 प्रत्येक प्रयोगशाला में 25 प्रदर्शन टेबिल--प्रत्येक प्रयोगशाला में 1 प्रत्येक प्रयोगशाला में 1 प्रत्येक प्रयोगशाला में 2	 प्रत्येक प्रयोगशाला में 5 प्रत्येक प्रयोगशाला में 25 प्रत्येक प्रयोगशाला में 1 प्रत्येक प्रयोगशाला में 2 प्रत्येक प्रयोगशाला में 4
5.	कार्यशालाएं काम की बेंचें (1.25×2×0.75) स्टूल (0.5 ऊंचाई) अध्यापक की टेबिल एवं कुर्सी लोहे की अलमारी स्टोरेज रैक ब्लैक बोर्ड (3.5×1)	 4 बेंच 25 स्टूल प्रत्येक—1 प्रत्येक—1 प्रत्येक—2 प्रत्येक—1	 6 बेंच 30 स्टूल 1 2 4 1
6.	नोडल अध्ययन केन्द्रों पर पुस्तकालय	वार्षिक अनुदान एक लाख रुपये	वार्षिक अनुदान 1.5 लाख रुपये
7.	अध्ययन केन्द्र	संख्या पर्याप्त हो	पर्याप्त हों, उन तक पहुँचना आसान हो
8.	क्षेत्रीय शिक्षण-अभ्यास (प्रैक्टिकल) विद्यालय केन्द्र	राज्य द्वारा अपने किसी विद्यालय के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार	राज्य द्वारा अपने सभी कार्यरत शिक्षण अभ्यास विद्यालयों/केन्द्रों के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार
9.	प्राचार्य/प्रधान/निदेशक का कक्ष टेबिल, लोहे की अलमारी, पुस्तक-रैक, फाइल केबिनेट, टेलीफोन/फैक्स, कुर्सियां	 हर वस्तु एक 10	 हर वस्तु एक 15
10.	अध्यापक कक्ष (स्टाफ कक्ष) अलमारी/केबिनेट, मेज और कुर्सियां	प्रत्येक अध्यापक के लिये एक	वही जो श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री के होने पर अनिवार्य है।
11.	कार्यालय कक्ष कुर्सी तथा मेज, अतिरिक्त कुर्सियां, लोहे की अलमारी, फाइल केबिनेट, फाइल रैक, सूचना पट्ट, स्टूल	यह साज-सामान पर्याप्त संख्या में हो	अच्छी किस्म का सामान पर्याप्त संख्या में होना चाहिए
12.	भंडार कक्ष लोहे की अलमारी, सामान रखने वाले रैक आदि	प्रत्येक भंडार कक्ष में तीन	प्रत्येक भंडार कक्ष में चार या पांच
13.	विद्यार्थी-कक्ष कुर्सियां, लम्बी टेबिल आदि	इतनी कुर्सियां और इतने आकार की मेज जो 25 विद्यार्थियों के लिये काफी हो	इतनी कुर्सियां और इतने आकार की मेज जो 40 विद्यार्थियों के लिये काफी हो

5.00 कर्मचारी वर्ग के लिए मानक

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापक की शिक्षा में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण अनुभव की व्यवस्था, विद्यार्थियों के दत्तकार्य (एसाइनमेन्ट्स) की जांच, पढ़कर सीखने की सामग्री में स्वयं किए गए संशोधन कार्य की निगरानी, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, विद्यार्थी-शिक्षण की निगरानी आदि जैसे कार्य सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् यह आशा करती है कि सुविधाएं एवं विशेषज्ञ-ज्ञान विश्वविद्यालय साथ ही महाविद्यालय दोनों स्तरों पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रीय यूनिट या परीक्षा का आयोजन करने वाला विश्वविद्यालय मात्र एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही कार्य नहीं करेगा बल्कि साथ ही उसे एक सक्रिय शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रूप में अपना योगदान देना होगा। उच्च योग्यता-प्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अंशकालिक संकाय सदस्यों की भी पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जानी चाहिए।

5.1 अध्यापक वर्ग (मानक : प्रति वर्ष 500 विद्यार्थी)

पदनाम	आवश्यक संख्या		विशेषता	योग्यता और अनुभव
	अनिवार्य	अपेक्षित		
प्राचार्य (प्रिंसीपल)	प्रोफेसर का पद (एक)	प्रोफेसर का पद (एक)	शिक्षा	शिक्षा विषय में पी एच० डी० के साथ प्रथम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ..... अध्यापन और या शोध या प्रशासन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव (वि० वि० अ० आयोग / सरकार के मानक)।
शिक्षा विषय में रीडर	दो	दो		शिक्षा विषय में पी एच० डी० के साथ किसी भी विद्यालय स्तर के विषय में प्रथम/द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। अध्यापन और/या शोध में 5 वर्ष का अनुभव (वि० वि० अ० आयोग/सरकार के मानक)।
शिक्षा विषय में प्राध्यापक (लेक्चरर)	सात	सात	प्रत्येक रीति-विधान (मेथोडोलाजी) के लिए एक प्रत्येक शिक्षा-शास्त्र विषय के लिये एक	वि० वि० अ० आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार
अंशकालिक संकाय सदस्य (फैकल्टी)	दस (शैक्षिक व्यावसायिक तथा जिनके पास आवश्यक क्षमताएं हों)	दस	शिक्षा	उपयुक्त योग्यताएं
कार्य-अनुभव प्रशिक्षक	एक	एक	सम्बन्धित हस्तशिल्प	हस्तशिल्प में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा
कला तथा संगीत प्रशिक्षक	एक	एक	ललित कला, संगीत	ललित कला में डिप्लोमा प्रमाणपत्र

5.2 सहायक तकनीकी कर्मचारी

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यताएं

5.2 सहायक तकनीकी कर्मचारी

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यताएं
लायब्रेरियन	1	एक से अधिक	पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री
सहायक लायब्रेरियन	1	एक से अधिक	पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा
तकनीकी सहायक	1	एक से अधिक	आई० टी० आई० प्रमाणपत्र/डिप्लोमा शिक्षा—उच्चतर माध्यमिक स्तर तक (एच० एस० सी०) साथ में श्रव्य-दृश्य विषय में बी० एस० सी०
कम्प्यूटर प्रचालक	1	एक से अधिक	कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा

5.3 प्रशासकीय तथा सहायक कर्मी (हेल्पर)

पदनाम	अनिवार्य	अपेक्षित	योग्यता
कार्यालय सहायक एवं टाइपिस्ट	1	उच्च श्रेणी क्लर्क—1	सरकारी सेवा के समकक्ष
लेखा सहायक एवं क्लर्क	1	निम्नश्रेणी क्लर्क—लेखाकार—1 टाइपिस्ट—1	सरकारी सेवा के समकक्ष
सहायक कर्मी (हेल्पर)	3	5	सरकारी सेवा के समकक्ष

5.4 कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा चयन समिति के बाद सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक नियमित वर्ग में नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक वर्ग की चयन समिति में स्थानीय नियमों के अनुसार, जैसा भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् और/या विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति का होना अनिवार्य है।

अध्यापक वर्ग का वेतनमान सरकार/वि.वि.अ. आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार होना चाहिए।

6.0 पाठ्यचर्या के मानक

6.1 अवधि

शिक्षा स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम के लिए 24 माह : प्रवेश परीक्षा, प्रवेश आदि की औपचारिकताओं में व्यय हुए समय के अतिरिक्त

6.2 प्रवेश के लिए योग्यताएं

प्रवेश के लिए स्नातक अथवा अन्य स्तरों पर प्राप्त अंक के रूप में प्रवेश की योग्यताएं वही हैं जो राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों की भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं अथवा जो नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित हैं। प्रवेश एक लिखित परीक्षा के बाद किया जाएगा।

6.3 पात्रता के मानदंड

उस अधिकार-क्षेत्र में स्थित मान्यता-प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर) में सेवारत केवल वही नियमित अध्यापक जिन्हें कम से कम तीन वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो।

6.4 सामग्री

(क) दूरस्थ शिक्षा फार्मेट में स्वयं पढ़कर सीखने की पर्याप्त मुद्रित सामग्री जिसका नमूने के रूप में मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया हो।

(ख) वि. वि. अ. आयोग के जनसंचार केन्द्रों, आंतरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (सी. आई. ई. टी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से श्रव्य-दृश्य वीडियो सामग्री की व्यवस्था।

(ग) नियमित वस्तु कार्य (एसाइनमेन्ट्स) जिनका मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर हुआ हो। प्रत्येक सिमेस्टर में एक एसाइनमेन्ट/प्रति वर्ष दो एसाइनमेन्ट तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम में एसाइनमेन्ट रहेंगे।

6.5 सम्पर्क कार्यक्रम

बारह सप्ताह, यथा प्रति दिन कम से कम 6 घन्टे का 72 दिन का अनिवार्य सम्पर्क कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किसी और द्वारा नहीं विश्वविद्यालयों के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के योग्यता-प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा चलाए जाएंगे। इस अवधि के दौरान यह जांच करने की दृष्टि से कि अपने अंतरंग शिक्षण (इन्टर्नशिप) की अवधि में प्रशिक्षार्थियों ने अध्यापन कौशल में किस सीमा तक प्रवीणता हासिल कर ली है, विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। किसी भी सम्पर्क कक्षा में एक समूह में 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षु नहीं रहेंगे।

6.6 मूल्यांकन

पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में निर्धारित तथा योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। विश्वविद्यालय/परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन निरन्तर एवं व्यापक रूप से होता रहे। जब भी आवश्यक हो मूल्यांकन के लिए लिखित, प्रायोगिक, मौखिक तथा अन्य किसी नवीन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। वस्तु कार्य (एसाइनमेन्ट्स), प्रायोगिक तथा अन्य कार्यों के आधार पर संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपेक्षित जानकारी निरन्तर मिलती रहे।

6.7 विद्यार्थी सहयोग प्रणाली

पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता के लिये कार्यक्रमों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/परीक्षा का आयोजन करने वाले निकाय तथा अध्ययन केन्द्र, व्यक्तिगत सम्पर्क केन्द्र, सहकारी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, पाठ्यक्रम चलाने वाले विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा अभ्यास केन्द्र आदि आपस में तालमेल और समन्वय बनाये रहेंगे।

6.8 प्रायोगिक कार्य के मानक

प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा किये जाने वाले प्रायोगिक कार्य के मानक	अनिवार्य	अपेक्षित
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय स्तर की पाठ्यचर्या से सम्बंध परीक्षण	10	15
अन्य विद्यार्थियों के लिये परियोजनाएं	2	2
अध्यापन में सहायक वस्तुओं (टीचिंग एड्स) की तयारी	10	15
मनोवैज्ञानिक परीक्षण, स्कोरिंग, व्याख्या तथा अन्य सार्थक परीक्षण	5	8
श्रव्य-के दृश्य यंत्र-संयंत्रों का प्रचालन	3 अलग-अलग वस्तुओं का	5 अलग अलग वस्तुओं का
यूनिट पाठ योजनाओं की तैयारी	पाठ-योजनाएं	नवीन शिक्षण मोडल
कुल कितने पाठ पढ़ाना अपेक्षित है	40	40
अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा दिये गये हर विषय को पढ़ाने के तरीके के प्रदर्शन-पाठों का अवलोकन	कम से कम 2 का हर विषय में एक एक	4
समकक्ष (पीयर्स) परिष्ठ विद्यार्थी-अध्यापकों द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठों का अवलोकन	2	4
समकक्ष विद्यार्थियों (पीयर्स) द्वारा पढ़ाये जाने वाले पर्यवक्षाधीन पाठों का अवलोकन	10	15
परीक्षण की वस्तुओं, हर विषय के यूनिट परीक्षण एवं परीक्षा प्रश्नपत्रों को बनाना	20+1+1 समूह कार्य	30+2+2 समूह कार्य
केस स्टडी/कार्यवाही शोध/अन्य परियोजनाएं	1	2

6.9 अंतरंग शिक्षण (इन्टर्नशिप)

4 सप्ताह की अवधि का अंतरंग शिक्षण (इन्टर्नशिप), जिसके दौरान अध्यापक-प्रशिक्षु कम से कम 40 पाठ उस विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसमें वे काम कर रहे हैं, जिनमें से 10 पाठों को पढ़ाते समय व प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय विभागों के निर्दिष्ट अध्यापक-प्रशिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा।

7.0 वित्तीय प्रबन्ध के मानक

7.1 वृत्तिदान (एण्डाउमेन्ट) तथा आरक्षित निधि

संस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और ऐसा होना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति से कार्य चलाना संभव हो। सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों/विश्वविद्यालय के संस्थानों को चाहिए कि वे उसे समय-समय पर पर्याप्त आर्थिक सहायता देते रहें। निजी उद्योग से चलाए जाने वाले संस्थानों के पास 5 लाख रुपए की वृत्ति दान निधि और 2 लाख रुपए की आरक्षित निधि होनी चाहिए। (जब तक कि पूरी अनुदान सहायता का आश्वासन न मिला हो।)

7.2 लेखा-परीक्षा

संस्थान को अनिवार्य रूप से पाठवार बजट बनाने, खर्च की मंजूरी देने, लेखा रखने और लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं/पद्धतियों को अपनाना चाहिए। वार्षिक लेखा-विवरण की लेखा-परीक्षा विधिवत् स्वीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सहित सभी भत्ता अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

STATE BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

Mumbai, the 14th February 1997

No. CDO/ADM/SPL/7596.—In exercise of the powers conferred by Section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following rules to amend further the Imperial Bank of India Employees' Pension and Guarantee Fund Rules and Regulations namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These rules may be called The Imperial Bank of India Employees' Pension and Guarantee Fund (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 16 of the Imperial Bank of India Employees' Pension and Guarantee Fund Rules and Regulations (hereinafter called as Principal Rules), the following shall be substituted, namely :—

"16. Save as herein provided, with effect from 1-11-1993, service rendered in India by an employee/ member from the date of his admission to the Fund upto the date of retirement from Bank's service shall be reckoned as service for pension. Service in England shall count for pension from the date of first employment in London irrespective of age."

3. (a) The following proviso shall be added after clause (a) of sub-rule (1) of rule 20 of the Principal rules, namely :—

"Provided that the maximum amount of pension shall be increased for the members who retired/retire on or after 1-11-1993 from Rs 2400/- as mentioned above to Rs. 4250/- after adjustment of dearness allowance on the basic pay upto 1148 points in the quarterly average of the All India Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100".

(b) The proviso to clause (b) of sub-rule (1) of Rule 20 shall be deleted.

4. With effect from 1-11-1993, after sub-rule (2) of rule 20, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(3)(i) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service prior to 1-11-1987 (excluding 1-11-1987) dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably upto 600 points. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension
(a) upto Rs. 1250	0.67 per cent
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per centof basic pension in excess of Rs. 1250.
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000.
(d) Above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 Per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(ii) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service from 1-11-1987 to 31-10-1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension
(a) upto Rs. 1250	0.67 per cent
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000.
(d) Above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(iii) In the case of members who retire from the Bank's service on or after the 1st day of November 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension.
(a) upto Rs. 2400	0.35 per cent
(b) Rs. 2401 to Rs. 3850	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs. 2400.
(c) Rs. 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850.
(d) Above Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100.

(iv) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(v) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation

5. After rule 20(A), the following shall be inserted, namely :—

"20(B). (1) An employee who retires from the Bank's service on or after 1-1-1986 shall be entitled to commute upto a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension w.e.f. 1-11-1994 or on any subsequent date, from which he becomes eligible for commutation.

Provided that employees who retired before the notified date, may give an option for commutation within 120 days from the publication of this notification.

(2) An employee who retires from the Bank's service shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit as he may desire to commute.

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below :—

TABLE

Commutation values for a pension of Rs. one per annum

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13
51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65
69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.75	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33		

Notes. :—

(1) The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 7.22 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs. 100 x 7.22 x 12 = Rs. 8,664.

(2) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(3) No medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if an employee applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement from the Bank's service the same will be permitted, subject to medical examination, by a Competent Authority as designated by the Executive Committee of the Central Board of the Bank.

(4) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee.

(a) who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement.

(b) if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the Competent Authority.

(c) if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank".

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approved to raise ceiling on pension, an introduction of commutation etc. Accordingly, the Imperial Bank of India Rules/Regulations are amended.

2. It is certified that no employee/pension of the Imperial Bank of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification Nos. as given below.

Notification No.	Date of Publication
ADM SPL 4459	26-10-91

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager (P&HRD)

No. CDO/ADM/SPL/7597.—In exercise of the powers conferred by section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following rules to amend further the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These rules may be called The State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.(a) In rule 8 of the State Bank of India Employees' Pension Fund Rules (hereinafter called as Principal Rules, the words and figures "on or after 1-11-1993" may be added after the words "member of the Fund".

(b) In sub-rule (a) of rule 8 of the Principal rules for figure "38" the figure "48" shall be substituted.

3. For rule 20 of the Principal rules, the following shall be substituted, namely :—

"20. Save as provided in Rule 21, with effect from 1-11-1993, service rendered by an employee/member from the date of his admission to the Fund upto the date of retirement in terms of Rule 22 infra from Bank's service shall be reckoned as service for pension."

4. In clause (a) of sub-rule (1) of rule 22 of the Principal rules, after the words "fifty years" the following may be added :—

"or if he is in the service of the Bank on or after 1-11-1993, after having completed ten years pensionable service provided that he has attained the age of fifty eight years."

5. After sub-rule (2) of rule 23, of the Principal rules, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the maximum amount of pension shall be increased for the members who retired/retire on or after 1-11-1993 from Rs. 2400/- as mentioned above to Rs. 4250/- (pro-rata in case of part time employees) after adjustment of dearness allowance on the basic pay upto 1148 points in the quarterly average of the All India Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100".

6. With effect from 1-11-1993, after sub-rule (5) of rule 23, the following shall be added, namely :—

"6. With effect from 1-11-1993, after sub-rule (5) of rule the Bank's pensionable service prior to 1-11-1987 (excluding 1-11-1987), dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 subject to necessary adjustment suitably upto 600 points. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension
(a) upto Rs. 1250	0.67 percent
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 percent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000.
(d) Above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(ii) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service from 1-11-1987 to 31-10-1993; dearness relief shall be payable for every rise, or be recoverable for every fall, as the case may be, for every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension.
(a) upto Rs. 1250	0.67 per cent
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs. 1250.
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs. 2000
(d) Above Rs. 2130	0.67 per cent of Rs. 1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs. 2000 and Rs. 1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs. 2130 and Rs. 2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 2130.

(iii) In the case of members who retire from the Bank's service on or after the 1st day of November 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, for every 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :—

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as the percentage of basic pension
(a) upto Rs. 2400	0.35 per cent
(b) Rs. 2401 to Rs. 3850	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs. 2400.
(c) Rs. 3851 to Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs. 3850.
(d) Above Rs. 4100	0.35 per cent of Rs. 2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs. 3850 and Rs. 2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs. 4100 and Rs. 3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs. 4100.

(iv) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December

of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(v) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

7. After sub-rule (A) of rule 23, following shall be added, namely :—

(B)(1) An employee who retires from the Bank's service on or after 1-1-1986 shall be entitled to commute upto a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension w.e.f. 1-11-1994 or on any subsequent date, from which he becomes eligible for commutation.

Provided that employees who retired before the notified date, may give an option for commutation within 120 days from the publication of this notification.

(2) An employee who retires from the Bank's service shall indicate the fraction of pension which he desires to commute and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit as he may desire to commute.

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below :—

TABLE

Commutation values for a pension of Rs. one per annum

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
17	18.21	18	18.07
19	17.93	20	17.78
21	17.62	22	17.46
23	17.29	24	17.11
25	16.92	26	16.72
27	16.52	28	16.31
29	16.09	30	15.87
31	15.64	32	15.40
33	15.15	34	14.90
35	14.64	36	14.37
37	14.10	38	13.82
39	13.54	40	13.25
41	12.95	42	12.66
43	12.35	44	12.05
45	11.73	46	11.42
47	11.10	48	10.78
49	10.46	50	10.13
51	9.81	52	9.48
53	9.15	54	8.82
55	8.50	56	8.17
57	7.85	58	7.53
59	7.22	60	6.91
61	6.60	62	6.30
63	6.01	64	5.72
65	5.44	66	5.17
67	4.90	68	4.65
69	4.40	70	4.17
71	3.94	72	3.72
73	3.52	74	3.32
75	3.13	76	2.94
77	2.75	78	2.56
79	2.38	80	2.20
81	2.02	82	1.84
83	1.67	84	1.50
85	1.33		

Notes :—

(1) The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 7.22 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs. 100 x 7.22 x 12 = Rs. 8,664.

(2) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(3) No medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if an employee applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement from the Bank's service the same will be permitted, subject to medical examination, by a Competent Authority as designated by the Executive Committee of the Central Board of the Bank.

(4) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee.

(a) who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement.

(b) if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the Competent Authority.

(c) if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank.

Explanatory Memorandum

1. The Central Government has accorded approval to raise ceiling on pension, and introduction of commutation etc. Accordingly, the State Bank of India Rules/Regulations are amended.

2. It is certified that no employee/pensioner of the State Bank of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification Nos. as given below.

Notification No.	Date of Publication
ADM:SPL:4462	26-10-91

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager (P&HRD)

STATE BANK OF TRAVANCORE

(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)
HEAD OFFICE

NOTICE

Thiruvananthapuram, the 21st March 1997

NOTICE is hereby given that the Register of shareholders of State Bank of Travancore will remain closed for transfer of shares from Tuesday, the 3rd June, 1997 to Tuesday, the 17th June, 1997 (both days inclusive).

G. G. VAIDYA
Managing Director

ALLAHABAD BANK

(LEGAL DEPARTMENT)
(HEAD OFFICE)
Calcutta-700001, the 15th March 1997

CORRIGENDUM

No. HO/Legal/1236.—The Notification No. HO/Legal/0938 dated 14-12-96 published in the Gazette of India dated 25-1-1997, Part-III Section 4 should be read as follows :—

"In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulation namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) The Regulation may be called Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulation, 1996.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979, for first proviso to sub-regulation (1) of Regulation 19, the following shall be substituted namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in Sub-Regulation (2) retire, if it is considered necessary to do so in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise, whichever is earlier".

R. L. BATTA
Chief Manager (Law)

N.B. Previous Notification regarding Amendment to Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 published in Part III Section (IV) of the Gazette of India, on the following dates.

(1) Dated 12-9-87 (2) Dated 31-10-87 (3) Dated 21-11-87 (4) Dated 28-11-87 (5) Dated 12-12-87 (6) Dated 29-10-88 (7) Dated 21-7-90 (8) Dated 28-7-90 (9) Dated 19-9-92 (10) Dated 17-8-93 (11) Dated 9-10-93 (12) Dated 9-3-94 (13) Dated 18-2-95 (14) Dated 25-2-95 (15) Dated 15-7-95 (16) Dated 10-12-96 (17) Dated 25-1-97.

SECRETARIAT OF COUNCIL OF INDIAN INSTITUTES OF TECHNOLOGY

New Delhi, the 18th March 1997

No. 15-1/95-TS-1.—In pursuance of sub-rule (d) of rule 5 of the Institutes of Technology Rules, 1962, the Council hereby sets up a Standing Committee of the Council to be called the Standing Committee on Executive Matters consisting of the following members of the Council, namely :—

Chairman

(i) The Chairman,
Board of Governors,
Indian Institute of Technology,
Bombay.

Members, ex-officio

(ii) Secretary

Department of Education,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India.

(iii) Financial Adviser,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India.

Members

(iv) The Director,
Indian Institute of Technology,
Delhi.

(v) The Director,
Indian Institute of Technology,
Guwahati.

Members, ex-officio

(vi) Director General,
Council of Scientific and Industrial Research,
New Delhi.

(vii) Chairman,
Council of Indian Institute of Science,
Bangalore.

Members, ex-officio

(viii) Secretary,
Council of Indian Institutes of Technology.

2. (a) The term of the Chairman and the other members mentioned at serial numbers 4 and 5 of paragraph 1 shall be two years.

(b) The Chairman shall be a nominee of the Chairman of the Council of Indian Institutes of Technology (IITs), nominated on a rotational basis from amongst the Chairmen of the Board of Governors of the various IITs.

(c) For the purpose of giving representation to the various IITs on the Standing Committee on Executive Matters the members representing the various IITs at serial numbers 4 and 5 of Paragraph 1 shall be filled on a rotational basis in an alphabetical order on the basis of the places of location of the IITs. The nominated members mentioned at serial numbers 4 and 5 of paragraph 1 of this notification on the initial constitution of the Standing Committee on Executive Matters shall hold office as under :—

(i) Member mentioned at serial number 4—One year;

(ii) Member mentioned at serial number 5—Two years.

On the expiry of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, a member in place of the Member at serial number 4 of paragraph 1 shall be nominated on rotational basis as mentioned in sub-paragraph (c)

3. The terms of reference of the Standing Committee on Executive Matters shall be as under :—

(1) to recommend regulations regarding transactions of business by the Council, viz. frequency of meetings, quorum for a meeting and such other connected business transactions;

(2) to recommend guidelines and regulations regarding empowerment of Chairman of the Council to deal with specific matters as well as matters of emergency on behalf of the Council in consultation with the Standing Committee;

(3) to advise the Chairman of the Council whether an item requires urgent consideration by him;

(4) to finalise agenda items for the consideration of the Council;

(5) to advise the Chairman of the Council on specific items within his purview as well as any emergency matters that may be referred to him;

(6) to draft resolutions which would empower the Council to make statutes of common policy covering all IITs;

(7) to formulate guidelines on items/issues to be considered and approved by the Standing Committee on behalf of the Council;

(8) to recommend the structure of the Council's Secretariat for consideration of the Government;

(9) to screen all proposals coming within the purview of the Council under section 33 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) and make appropriate recommendations to the Council; and

(10) to consider all items within the jurisdiction of the Council and referred by the various Board of Governors of the individual IITs or the individual Directors of the IITs or other groups within the IITs, such as the Senates and the Faculty Associations or the Council Secretariat for recommendation either to the Chairman of the Council for items within his purview or emergent consideration or to the Council itself at a normal scheduled meeting or for final disposal for items delegated to the Standing Committee.

DR. S. D. AWALE
Secretary, Council of IITs

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 13th March 1997

No. NCDC : A&C : 8-13/83-CPF.—In exercise of the powers conferred by Regulation 29 of the National Cooperative Development Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1964, National Co-operative Development Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the National Cooperative Development Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1964, namely :

1. Insert the following as clause (vii) under regulation 18(1)(a) and as clause (v) under regulation 19-A(1)

To meet expenses on purchase of consumer durable such as TV, VCR/VCP, Washing machine, Cooking range, Geyser, Computer etc.

2. Substitute the following for the existing proviso under Regulation 19-(A)(1)

Provided that (i) No withdrawal under this Regulation shall be sanctioned unless the subscriber has completed (a) 10 years of service in case of withdrawal under Clause (iv) or 15 years service in case of withdrawal under clauses (i), (ii), (iii) & (v), (b) or has attained the age of 45 years, whichever is earlier, (ii) The amount of withdrawal shall not ordinarily exceed six months' pay of the subscriber or 75% of the exempted contributions and exempted interest contained in the balance to the credit of the subscriber whichever is less. This limit may, however, be relaxed by the Committee of Trustees. (iii) The withdrawal for the purpose specified in clause (iv) above shall be subject to the further conditions;

The amendment is proposed to bring the provisions of NCDC EPF regulations at par with the provisions of GPF of Government of India.

The amendments shall come into force with immediate effect.

J. P. SINGH
Managing Director

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi-110 002, the 6th February 1997

No. F.28-2/96 NCTE.—In exercise of the powers conferred under clause (o) of sub-section 2 of Section 32 read with sub-section (7) of section 20 of NCTE Act, 1993 the National Council for Teacher Education makes the following Regulation namely :

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the "National Council for Teacher Education" (manner of filling casual vacancies among members of Regional Committee) Regulation 1996. They shall come into force from the date of the publication in the Official Gazette.

2. Definition

In these Regulations, unless the content otherwise requires :

(i) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) All other terms shall have the same meaning as contained in Section 2 of the Act.

3. Applicability

These Regulations shall be applicable to a casual vacancy of member of Regional Committee by reason of death, resignation or inability to discharge functions owing to illness or other incapacity by a member nominated to Regional Committee under Clauses (a) and (c) of sub-section 3 of Section 20 of the Act.

Provided, however, this Regulation shall also apply to vacancy as Chairperson of Regional Committee, if such a member has been so appointed.

4. Manner of filling Casual Vacancy

If a Casual Vacancy of a member occurs (including Chairperson) of Regional Committee whether by reason of death, resignation or inability to discharge the functions of Regional Committee, such vacancy shall be filled up by making fresh nomination and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of the office of the person in whose place such person is so nominated.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

No. F. 28-9/96 NCTE.—In exercise of the powers conferred under sub-clauses (f) and (h) of sub-section 2 of section 32 read with sections 14 and 15 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 17 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations :

1. Short Title and Commencement

These regulations may be called the National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education, or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed. degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to institutions including universities, open universities, constituents thereof and any other bodies called by whatever name and style.

3. Definition

In these regulations unless the context otherwise requires :—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) "New course or training in teacher education" means any course or training in teacher education which was not being offered by the institution at the time of recognition but is proposed to be offered by the recognised institution.

(iii) All other terms shall have the same meaning as contained in seciton 2 of the Act.

4. Application for Recognition

(a) Every institution offering/intending to offer a course or training in teacher education shall make an application for recognition under the Act in the Form given in Appendix-I to these Regulations.

(b) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

5. Application for permission to start new course or training or increase in intake

(a) Where any recognised institution intends to start any new course or training in teacher education it shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix I to these regulations.

(b) Where any recognised institution intends to increase its intake of students beyond the intake approved for such course or training, the recognised institution shall make an application to the Regional Committee concerned in Appendix I to these Regulations.

(c) The application shall be submitted to the Regional Committee in whose territorial jurisdiction the institution is located.

6. Manner of making application

(a) Application for recognition in the Form given in Appendix I shall be made to the Regional Committee concerned.

(b) Application for permission to start new course or training in teacher education or increase in intake shall be made by the recognised institution in the Form given in Appendix-I to the Regional Committee concerned.

(c) Application for recognition of institution shall be submitted in triplicate.

(d) Application for recognition of institution offering a course or training in teacher training immediately before 17th August, 1995, shall be submitted directly to the Regional Committee concerned.

(e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995 shall submit application for recognition with a no objection certificate from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located.

(f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located.

7. Fees

Application for recognition of the institution or permission to start new course or training by recognised institutions shall be accompanied by fees for such application as indicated from time to time by Council and shall be in the form of Demand Draft drawn in favour of "Regional Committee, National Council for Teacher Education" payable at the place of location of the Regional Committee concerned.

8. Time limit for making applications

(a) Every institution intending to offer a course or training in teacher education shall make an application so as to reach the concerned Regional committee by the 31st December every year for commencement of course or training from the next academic session.

(b) Application for permission to start any new course or training in teacher education or increase in intake by recognised institutions shall be submitted in the form in Appendix-I, so as to reach the Regional Committee concerned before 31st December of the calendar year for the course or training in teacher education proposed to be offered in the next academic year.

9. Conditions for recognition

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application for recognition, in any manner deemed fit, that the institutions has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for the proper functioning of the institutions for the course or training in teacher education which are being offered or intending to offer.

(b) Regional Committee shall ensure that every institution applying for recognition fulfil the norms and standards given in Appendix II.

10. Conditions for grant of permission to recognised institutions to start new course or training or increase in intake

(a) Regional Committee shall satisfy itself on the basis of scrutiny and verification of facts as contained in the application of recognised institution for starting a new course or training in teacher education or increase in intake, in any manner deemed fit, that institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and such other conditions required for offering the course or training or increase in intake.

(b) Regional Committee shall ensure that every recognised institution applying for permission to start a new course or training or increase in intake fulfil the norms and standards given in Appendix II.

11. Regional Committee shall follow the provisions of the Act under section 14 in the matter of consideration of application for recognition before passing orders on the application of institutions.

12. Regional Committee shall follow the provisions of the Act under section 15 in the matter of consideration of applications from recognised institutions for permission to start a new course or training in teacher education or increase in intake.

SURENDRA SINGH
Member Secretary
National Council for Teacher Education

Appendix I

TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

B. ED. CORRESPONDENCE/DISTANCE EDUCATION

GENERAL PROFORMA

CORRESPONDENCE/DISTANCE TEACHER EDUCATION

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NEW DELHI

B.Ed. CORRESPONDENCE/DISTANCE TEACHER EDUCATION COURSE

APPLICATION FOR RECOGNITION/PERMISSION

APPLYING FOR :

1.0 STATUS OF INSTITUTION **EXISTING** ☐ **NEW** ☐

2.0 ARE YOU APPLYING FOR :

2.1	RECOGNITION OF EXISTING COURSES	Yes	☐	No	☐
2.2	PERMISSION TO START NEW COURSE(S)	Yes	☐	No	☐
2.3	ADDITIONAL INTAKE	Yes	☐	No	☐

3.0 EXISTING COURSE(S) : Please write name of the Programs/Teacher Education Course(s)

	Program	Duration in Years(s)	Seats Proposed	Additional Seats
3.1	.....	.....	.....	.....
3.2	.....	.....	.....	.....
3.3	.....	.....	.....	.....

4.0 NEW COURSE(S) PROPOSED

	Program	Duration in Year(s)	Seats Proposed	Additional Seats
4.1	.....	.....	.....	.....
4.2	.....	.....	.....	.....
4.3	.....	.....	.....	.....

5.0 OTHER TEACHER EDUCATION COURSE(S) offered, if any, (Please write the name of the Course) in the institution/campus/complex

	Program
5.1	.....
5.2	.....
5.3	.....

6.0 PROPOSED COURSE(S) to be located in the existing campus

	Program				
6.1	.....	Yes	☐	No	☐
6.2	.....				
6.3	.....				

APPLICATION FORM FOR RECOGNITION OF CORRESPONDENCE OR DISTANCE TEACHER EDUCATION INSTITUTION/PERMISSION TO START COURSE OR TRAINING BY A RECOGNIZED INSTITUTION

- You may refer to relevant regulations, norms and standards prepared by the NCTE.
- Give your answers by inserting a tick √ in the appropriate Box.
- This proforma is applicable to CDE programs, except Elementary/Nursery Training Program.

1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Name of the Institution ——————————

1.2 Postal Address ——————————

Post Office ——————————

District ——————————

State ——————————Pin ——————

1.3 Telephone number of Head of the Institution (OFF.)—————— (RES.) ——————

1.4 Telegraphic Address ——————————

1.5 The distance of the Institution from the nearest Railway Station ——————Kms.

1.6 If in rural area, its distance from the Nearest Town ——————Kms.

1.7 Nearest Bus Stand and its distance from the Institution ——————Kms.

1.8 Transport facility available from Institution to town (Please tick)

Town Bus	☐	Auto Rickshaw	☐
Cycle Rickshaw	☐	Taxi	☐

1.9 Please tick the facilities available in the institution

Electricity	☐	Water Supply	☐	Telephone	☐

1.10 Number of practising schools available within your jurisdiction

Schools, number ——————

and number of secondary classes for field work

Classes, number ——————

(Enclose letters of consent from heads of schools and/or collaborating institutions indicating section offered)

2.0 MANAGEMENT

2.1 The Institution is/will be managed by

Central Government	☐	UT/State Government	☐
Local Self Government	☐	Registered Society/Trust	☐
University	☐	Any other (please sepcify)	☐

2.2 If managed by registered Society/Trust :
When was it registered? Date——Month——Year——
Has registration proo been attached ? Yes ☐ No ☐
Do you receive grant-in-aid from Government ? Yes ☐ No ☐

2.3 If managed by Board/Government :
Has the copy of sanction order been enclosed ? Yes ☐ No ☐
Do you receive 100 percent grants ? Yes ☐ No ☐

2.4 Academic duration of 24 months of the Course
Starting Date ——————
Closing Date ——————

2.5 Is it recognized by your Government ? Yes ☐ No ☐
Has letter of recognition been enclosed ? Yes ☐ No ☐

2.6 Have you applied to NCTE for :
Recognition of existing Course Yes ☐ No ☐
Permission for starting a new Course Yes ☐ No ☐
Additional intake for existing Course(s) Yes ☐ No ☐

2.7 If applying for a new course :
Have you obtained permission of Your Government ? Yes ☐ No ☐
If yes, have you enclosed a copy of the letter ? Yes ☐ No ☐

3.0 LAND AND BUILDINGS

3.1 Land
Please state the land area possessed by the institution ——————acres
Have you enclosed the copy of the registered ownership document ?
Yes ☐ No ☐

3.1.1 Is the land area in one plot ? Yes ☐ No ☐

3.1.2 If in more than one plot what is the distance between them ? ——————
(Has the sketch showing location of plot;s been attached) ? Yes ☐ No ☐

3.2 Floor Area
Total floor area of existing buildings of the institution ——————sq. mts.
Floor area available for the proposed churse ——————sq mts.
Has the floor area plan been attached ? Yes ☐ No ☐
Is this floor plan approved by the respective authority ? Yes ☐ No ☐

3.3 Existing Building
Give the list of rooms and their use in the existing building of the institution for the chorse.

Room	Number of Rooms	Floor Area sq. mts.	Proposed Extension New Construction: Floor Aear
Classroom			
Library			
Laboratories			
Workshop			
Material Production/Resource Centre			
Despatch Section			
Assembly Hall			
Principals'/Director's Room			
Office			
Staff Room			
Toilets			
Any others (specify)			

3.4 New Building

If a new building is being constructed/will it soon be ready for the use: Yes ☐ No. ☐

(i) Has the site plan of the building been attached : Yes ☐ No. ☐

(ii) Is approved floor plan of the building attached ? Yes ☐ No. ☐

(iii) Write the date of starting the construction Month———Year ———

(iv) Likely date of completion of construction Month———Year ———

Provide the details of ;

Space Title	Number of Rooms	Floor Area
Classroom		
Library		
Laboratories		
Workshops		
Material Production/Resource Centre		
Despatch Section		
Assembly Hall		
Principals'/Director's Room Office		
Staff Room		

3.5 Staff Quarters

Give details of existing and proposed staff quarters

Quarters	Existing		Proposed	
	Number	Floor Area of each	Number	Floor of Area of each
For Principal/Director				
For Teachers				
For other Staff Administrative/Helper				

4.0 BOOKS, EQUIPMENT AND FURNITURE

4.1 Books

(a) Please give details of books, magazines and journals in your library and others sources to which you have an access ?

Item	Existing number & Approx. Cost	Cost of books/equipment to be procured in		Available in other accessible libraries
		During the First Year	During Second Year	
Texts Books —Ref. Books —Other Books —Journals				

(b) Name the other libraries to which your faculty and students will have accesses and indicate the number of books available.

4.2 Equipment

Give details of equipment presently available.

Item	Number of students to be admitted	Cost of the Existing Equipment	Cost of equipment to be procured in next		Available in the accessible institutions
			First Year	Second Year	
Psychology-cum-Guidance lab.					
Science lab.					
Edu. Technology lab.					
Work Experience lab.					

Teaching -cum-Computer lab.
Library-cum-Reading Room
Social Science-cum-Small Group lab.
Language lab.
Any other lab.
Games & Sports
Arts/Music

(ii) Give the names of other institutions to which you will have an access (for borrowing/using the above kinds of facilities).

4.3 Furniture and Equipment

Please give estimated cost of furniture existing and to be procured for the insitution (excluding hostels)

Furniture for	Accommodation available	Cost of existing furniture	Cost of Furniture to be procured in	
			First Year	Second Year
Hall and auditorium				
Classrooms				
Library				
Lab/Workshop				
Office and Staff room				
Students Common room				
Principals Office				
Material Production Lab.				
Teacher Educators				
Any other				

Give details of quipment for production/resource unit and other relevant labs (Attach the list as per proforma given below)

S. No.	Items	Numbers/Sets
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

5.0 STAFF POSITION—Kindly fill in the relevant block(s).

5.1 Existing Staff

Please give details of the presently engaged and proposed staff to be employed

Staff	Number employed			Salary scale of full time staff
	Full Time	Part Time	Visiting	
Principal/Professor/Director				
Reader				
Lecturer in Education				
Work experience Teachers				
Librarian				
Technical Assistant				
Office Assistants				
Helper(s)				
Any other				

(Enclose statement of names, qualifications and experience of existing teaching staff).

5.2 Staff Engaged in CDE (Please use separate sheet if need be)

Give details of Faculty/Staff engaged in correspondence/distance tacher education programm:.

	Regular/Full time Appointment			
Faculty/Staff	Number	Qualifications	Age	Date of appointment
Professor (Full Time Appointment)				
Readers (Full Time)				
Lecturers (Full Time)				
Others Part Time faculty				

Are the qualifications of teaching staff in agreement with the University/ U G C norms ?

Yes ☐ No ☐

5.3 Additional Staff Recruitment

Please indicate your plan for recruitment of required or additional staff

Designation	Number	Year to be recruited	Scale of Pay
1.			
2.			
3.			
4.			

5.4 B.Ed. Admission Eligibility Criteria

(i) Give qualifications for recruiting teachers in relevant secondary school system supported or run by your Government.

Qualification (Degree) % of marks

(i) Academic———

(ii) Professional———

(iii) Other———

(ii) Give minimum required condition and qualifications for se king admission to B.Ed. course.

	Face to Face (Regul :r)	Correspondence/Distance Education
Grade % Marks		
Teaching Experience in the schools		
Jurisdiction		
Others		

(iii) Does your university or state organize admission test for B.Ed. course(s)?

Yes ☐ No ☐

(iv) If yes, tick mark the components used in such an admission test

	Face to Face		Correspondence/Distance Teacher Education	
(i) General knowledge	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(ii) General mental ability	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(iii) Subject knowledge	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(iv) Teaching aptitude	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(v) Social sensitivity	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(vi) Attitude towards teaching	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐
(vii) Any other	Yes ☐	No ☐	Yes ☐	No ☐

5.5 Students Admitted

Give the number of students admitted or to be admitted in various Correspondence/Distance Education courses on education

	Number of students currently admitted	Intended to be admitted
Course		
B. Ed.		
Any other		

5.6 Selection Committee

Please state the constitution of the Selection Committee for filling the vacancy of teaching staff.

6.0 FINANCIAL MANAGEMENT

6.1 Government

If managed by Government/Local Government/Board, give budget provisions for the Teacher Education Deptt./B.Ed. course on

(i) Salaries & Allowances (full time) ———

(ii) Honorarium of guest faculty/associates———

(iii) Equipment, Furniture & Books ———

(iv) Any other items———

(v) TOTAL ANNUAL BUDGET ———

6.2 Private Bodies

If managed by private body, give

(i) The amount of endowment fund——— mode of deposits. ———

(ii) The amount of reserve fund——— mode of deposits———

Is adequate to cover three months salaries ? Yes ☐ No ☐ ———

(iii) Latest annual budget :

income ———

expenditure ———

(Attach certificates from bank indicating the present balance in the funds and abstract of the latest budget)

(iv) Mention other sources of income, if any.

(v) Please state how the deficit, if any, between income and expenditure is met/proposed to be met, also how excess if any, is utilized.

S.No.	Source of Income	Annual Income
1.		
2.		
3.		
4.		

6.3 Annual Fees

Give annual fee details of Correspondence/Distance Education B.Ed. and Regular face-to-face B. Ed. courses of your university.

	Course	
Item	B. Ed. Education Face to Face Mode (Fee for 12 Months)	B. Ed. Correspondence/ Distance Education (Fee for 12 Months)
Tuition Fee for 12 months		
Materials (Printed, Audio, Visual, Library and Postage etc. Fee/Charges per annum)		
All other Fees/Charges		
TOTAL FEE PER ANNUM		

7.0 OTHER COURSES

7.1 If the institution is offering instruction in Teacher Education Courses other than the one for which this application is made, give details for each one of those. (If need be attach separate sheets).

Title	Year of commencement	Duration	Present Intake	Proposed Intake
Nursery				
Elementary				
Secondary				
Any others				

8.0 STUDY AND FIELD PRACTICUM CENTRES

8.1 Give duration of internship/supervised teaching — Number of Days——————

8.2 Nature & description of study centres
Are they located in,

University campus	Yes ☐	No ☐
Affiliated colleges	Yes ☐	No ☐

8.3 What are the qualifications of the teacher teaching in the contact programme?

Give details of the PCP centers.

S.No.	Name of the PCP center	Number of students registered in each center	Teaching time (Days Hours)	Demonstration/ Practicals organized for the students (in hours)
			Hours	Hours

Attach center-wise List of Teachers.

8.4 Give details of functioning of study centrers

Number of study centers	Working hours per day	Number of registered students	Duration of counseling time	Working days per week

Attach list of Study centers and personnel associated with them.

9.0 JURISDICTION

9.1 (a) Does the University/(Examining body) Act provides for geographical area of jurisdiction ?
Yes ☐ No ☐

(b) What are the districts/areas covered under your university jurisdiction? (Atach a list)

(c) Give the number and percentage of B.Ed. students who are employed as Teachers

	Number	Percentage
(i) Within the area of Jurisdictions	————	————
(ii) Outside the jurisdiction but With in the state	————	————
(iii) Outside the state	————	————

9.2 Give the number of students admitted or to be admitted in various correspondence/Distance Education course on education

Course	Number of Students currently admitted	Intended to be admitted
B.Ed.		
Any other		

9.3 Give the duration of the Correspondence/Distance Education course excluding admission and examination period :

Course	Duration in Months	Starting date of the session	Month in which the session ended
B. Ed. (regular face-to-face)			
Other Courses			

10. ADDITIONAL INFORMATION

10.1 (i) Is the printed material for self learning or study ready ? Yes ☐ No ☐

(ii) Will it be ready for use in time Yes ☐ No ☐

10.2 Do you have adequate provision for audio/audio-video materials for students ? Yes ☐ No. ☐

10.3 Are the audio/audio-video material packages prepared in consultation with ;

(i) IGNOU ☐
(ii) UGC Media Center ☐
(iii) CIET ☐
(iv) NCTE ☐
(v) Any other ☐

10.4 (i) Are students given regular assignments according to NCTE norms ? Yes ☐ No ☐

(ii) Are the assignments returned for feedback within a stipulated period ? Yes ☐ No ☐

(iii) How many lessons does a student teacher deliver during internship ? Yes ☐ No ☐

10.5 How many of these lessons are supervised by the :

	Qualified School Teachers	Qualified Teacher Educators
(a) Observations of lessons	———	———
(b) Lesson Planning	———	———
(c) Unit Planning	———	———
(d) Unit testing/exam.	———	———
(e) Educational technology software	———	———
(f) Case study/action research/survey	———	———
(g) Participation/leadership in co-curricular activities	———	———
(h) Others (specify)	———	———

10.6 What is the duration of contact program being organized by the department ? Days———
Compulsory percentage ———
Concession allowed limit ———

10.7 Give duration of your examinations

(i) Duration of theory examination————Days
(ii) Duration of practical examination————Days

10.8 Is the theory examination conducted at the completion of 24 months after the date of admission ? Yes ☐ No ☐

Sd/- Illegible
Member Secretary
National Council for Teacher Education
New Delhi

Appendix-II

NORMS AND STANDARDS

[B.ED. CORRESPONDENCE/DISTANCE EDUCATION]

SECONDARY

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NEW DELHI

10. INTRODUCTION

The role of the teacher is crucial in any program of education. We should have well-qualified teachers who have not only academic and professional competence of a high order, but also earnestness, responsibility, and commitment to strive constantly to raise students learning, capability and achievement and make them increasingly autonomous and self actualizing person. Without such good teachers, it is not possible to improve education. The National Policy on Education, 1986 states : "The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of a society ; it is said that no people can rise above the level of their teachers."

In December, 1993, through Act No. 73 of 1993 of the Parliament, the National Council for Teacher Education was vested with statutory authority for "achieving planned and coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper mainte nance of norms and standards in the teacher education sys-

tem and for matters connected therewith. Some of the functions of the NCTE relating to maintenance of quality in Teacher Education are :

— to lay down norms for any specified category of courses or training in teacher education, including minimum eligibility criteria for admission thereof and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents and mode of certification ;

— to lay down guidelines regarding tuition fee and other fees chargeable by recognized institutions ;

— to examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council and to advise suitably the recognized institutions ;

— to evolve suitable performance appraisal systems norms and mechanisms for enforcing accountability on recognized institutions ;

— to take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education.

In order to meet these obligations, the NCTE has formulated norms and standards for different kinds of programs of teacher education. Such norms and standards specify the details of the 'Conditions' to be satisfied for recognition, permission, and additional intake for any course or training in teacher education.

The NCTE accepts distance education as a useful and viable mode for organizing inservice training programs for teachers serving in schools. This mode is also useful for providing training and continuing education for *other functionaries* working in the school system. However, it is to be discouraged as a mode for pre-service education of non-teachers or for conferring degrees/certificates in teacher education as a qualification for seeking employment as a teacher. Further, wherever this mode is used for training, it should satisfy the requisite prescribed conditions and requirements.

This document presents the norms and standards for correspondence/distance education programs of teacher education leading to B.Ed. degree. These norms shall apply to all institutions offering correspondence/distance teacher education program whether this is the only one exclusive educational program of the Institution or it is one of several other programs offered by them.

The building and other physical facilities may be shared with other programs, without sacrificing the interests of the course.

Norms will consider the combined facilities available at (a) nodal centers, (b) PCP centres, (c) study centres and (d) field practicum centers.

These norms are stated under two categories/levels (i) essential norms are the minimum requirements that all institutions should fulfill in order to be eligible for recognition/permission and additional intake of their institution/courses by NCTE: and (ii) desirable norms indicates directions which institutions should strive to achieve in a reasonably short period of time. The formal recognition of institutions for the courses by the RCs of NCTE will depend upon the fulfilment of essential norms apart from fulfilment of other performance criteria.

2.0 SUMMARY GUIDELINES

GUIDELINES AS REGULATIONS FOR B.ED. THROUGH CORRESPONDENCE/DISTANCE EDUCATION PROGRAMS FOR IN-SERVICE TEACHERS

Course Title—B.Ed. Distance Education Mode for Secondary Teachers

Jurisdiction—Each University will admit only those candidates who are currently working in school systems located in the territorial jurisdiction assigned to it by the Act/State Government.

Entry Qualifications—Entry qualifications for admissions in terms of marks at graduation or other levels will be the same as prescribed by the State Government for recruitment of teachers or prescribed for entry to regular teacher education programs. The admissions will bem ade after a written entrance examination.

Number of Seats—No University will admit more than 500 candidates in a given academics year.

Duration—24 months for B.Ed. courses : exclusive of the time taken for formalities of entrance test, admissions, etc.

Tuition Fee—Same as applicable to other B.Ed candidates of the University. However, extra charges may be levied on the students to cover the cost of print material, audio-visual packages, postage, library services etc.

Eligibility Criteria—Only those regular teachers serving in recognised schools (primary, secondary and higher secondary levels) within the above defined jurisdiction and having a minimum of three years of teaching experience.

Staff Structure—For every 500 students there will be ten full time core faculty, and additional ten strong part-time faculty. The regular full time core faculty will be appointed by following all the conditions prescribed for recruitment by the UGC/NCTE/State/University. Part-time faculty will also have similar qualifications, and none beyond 65 years of age will be associated as part-time faculty members.

PROGRAM COMPONENTS

Adequate amount of self-learning printed course-material in distance education format. Sample basis evaluation of the printed materials to be conducted by Committees to be set up by UGC/NCTE.

Provision for audio and video packages in consultation with the UGC media centres, CIET and NCTE.

Regular assignments which are fully evaluated within stipulated time. There would be one assignment per semester, and in each of the papers/courses.

An internship of 4 weeks duration, during which the teachers deliver at least 40 lessons, in the school they are serving, 10 of which will be supervised by the regular teacher education of training institutes/University departments.

Twelve weeks, i.e. 72 days of compulsory contact programs of at least 6 hours per day. This will be conducted by eligible teacher educators from the university departments/training colleges and none else. During this period, the candidates will be interviewed by experts to see the extent up to which they have mastered teaching skills during internship. No contact class will consist of more than 50 teacher trainees in one group.

Examinations will be conducted on specified days, other than the period assigned to the contact programs. Minimum of 80 per cent attendance in contact programs would be necessary. Any relaxation in attendance, not exceeding 20 per cent could be given only in exceptional cases and not as a general rule.

3.0 COSTS

(All costs of all items including building will have to be worked out with the price level of 1994 only).

3.1 Non-Recurring Costs

(i) Institutions under private management should have an endowment fund of Rupees five lakhs along with a reserve fund of Rupees two lakhs so as to cover 3 months salary of all their staff. The funds should be deposited in a Nationalized Bank.

(ii) Suitable institutional building with adequate space and fittings for (a) academic wing, (b) administrative wing, and (c) resources wing, will contribute to the quality of distance teacher education programs. Academic, administrative, and resource wings along with Study Centres and Personal Contact Program centres (PCP) are important in discharging the functions of distance education. Adequate cost estimation of non-recurring items like building, books, furniture, endowment funds, etc, will be Rs. 30 lakhs.

3.2 Recurring Costs

Salaries (for regular faculty/staff) As per UGC/Government norms.

		Essential	Desirable
Other recurring costs	:	Rs. 4 lakhs (for 500 students	Rs. 5 lakhs (for 500 students
	:	@Rs. 800/- per year per student	@Rs. 1000/- per year per student)
Expenditure on library	:	Rs. 10000/-	Rs. 15000/-
Books and Journals etc.		@Rs. 200/- per student per year	@Rs. 300/- per student per year

4.0 NORMS FOR SPACE AND BUILDINGS

4.1 Land Area and Location

Adequate land area for academic, administrative and resource wings, and for a few residential quarters has to be provided Adequacy of land area will depend upon the socio-economic conditions of the region, curricular requirements, staff strength, etc.

		Essential	Desirable
Land Area	:	3000 sq. mts.	4000 sq. mts.

The institution should be preferably located in a noise and pollution free environment. There should be good transportation and communication facilities. Sufficient drinking water and regular electricity should be available.

4.1.1 Academic Wing

There should be sufficient number of classrooms for organizing contact programs. Normally these classrooms should have a minimum covered area of 50 sq. mts. for (50) students. A few student study rooms for small group discussions and individual self study etc. are also required. Two multiple-use halls of 100 sq. mts. are needed for general meetings, examinations, and other activities.

Depending upon the nature of curricula, there should be provision for relevant labs/facilities for science laboratory, psychology laboratory, work-shops, laboratory for educational technology, and social sciences-cum-small group-interaction studies. Apart from the students, the faculty and curriculum development groups should use these facilities on regular basis.

4.1.2 Building Space for Administrative Wing

Item		Floor Area
1. Principal/Head's room	20 sq. mts	40 sq. mts
2. Staff Room	60 sq. mts	100 sq. mts
3. Office Room (Two)	2x40 sq. mts	2x50 sq. mts
4. Store Room (General)	25 sq. mts	40 sq. mts
5. One Store Room for storing produced material	50 sq. mts	75 sq. mts

4.1.3 Nodal Centers

Nodal Centers will be the universities that will undertake the responsibility for running the course. It will (a) design, plan, and develop course material (b) organise campus courses or PCP(c) make all necessary arrangements for study centers, field practicum centers and (d) fund, guide, supervise and evaluate all program components.

4.1.4 Study Centers

These centers could be located within or outside the nodal center. The study centers could be spread over different colleges affiliated to the university, but within the area of jurisdiction of the university. Adequate space and facilities should be available for organising and display of assignment and response materials of students, tutorials, counselling, group discussions, individual studies etc.

4.1.5 Personal Contact Program Centers

Personal Contact Program, may be organized at the nodal centers/study centers. These centers will be equipped with adequate AV equipments. Staff for these centers may include, one coordinator, ten teachers and technical support personnel. Adequate facilities for Coordinator room, Class room and Store room etc. should also be available.

4.1.6 Field Practicum Centers

These are the selected schools for the organization of practice teaching, work experience, action research studies, and innovative curricular practices. It is necessary to have nearly 50 field practicum-centers for 500 teacher trainees of first year and 500 teacher trainees of second year.

4.1.7 Building Space and Facilities for Amenities

It is essential to have a Common Room for women students with attached toilet. It is essential to have two separate toilet rooms of minimum 25 sq. mts. for women and men students. An additional toilet for staff is also required. It is desirable to have one big hall first-aid facilities, and other amenities for visiting guardian/parents.

It is essential to provide drinking water facilities. It is desirable to provide water-coolers for this purpose.

4.1.8 Laboratories

There will be two types of labs i.e. general labs and course-specific labs. The General labs are: Psychology lab, Educational, Technology lab, etc. The nature of course-specific lab, such as Science lab, Social Science lab, Language lab, Computer lab, Work Experience lab etc. will be considered essential only if it is relevant to the course.

4.1.9(i) General Laboratories

(a) Psychology-Laboratory

Institutions of Correspondence/Distance Teacher Education should have a Psychology-Laboratory of 75 sq. mts. area of which 15 sq. mts. will constitute the store room for tests and other instruments of educational and psychological measurements. The remaining space of 60 sq. mts. will be used for practical work for students working in groups. A separate Psychology Lab having up to date tests, equipment, and other materials, etc. is desirable.

(b) Work Experience Laboratory

A work experience lab of floor area 75 sq. mts. should be provided in the institution for conducting practicals in the chosen area of work experience. The work experience lab should be equipped with the required tools and equipment related to the concerned work experience for which teaching is provided in the institution.

(c) Educational Technology Laboratory

A room of floor area 60 sq. mts. with adequate audio-visual and mass media equipment should be used for practical work by students in smaller groups. Students may also use this lab for the preparation of teaching aids. The staff of the institute will use this lab for the purposes of producing instructional materials.

(d) Library-cum-Reading Room

A library-cum-reading room of floor area 100 sq. mts. is essential for each institution. It should have adequate reading room space and storage space for books. It will be desirable to have small study cabins in the library for the faculty.

4.1.9(ii) Course Specific Laboratories

(a) Science Laboratory

There should be a science lab of area 75 sq. mts. of which about 15 sq. mts. will be the storage of apparatus and chemicals and 60 sq. mts. will be for the practical work. There should be adequate number of work tables. During the time of non-occupancy, the science lab can be used for developing other curricular activities of science education.

(b) Language Laboratory

Language laboratory should be housed in duly accosted and noise free room. Language lab should have facilities for recording and audio player equipment, master cassettes, printed and recorded software. Language learning facilities should be available for individual as well as for groups of at least ten students at a time. Video and multimedia facilities are desirable.

(c) Social Science-cum-Small Group Laboratory

The distance teacher education institutions specializing in the area of social sciences for developing, understanding, issues of importance to society, social sensitivity, value-education, and social skill development required for negotiating the social realities, should possess their social sciences-cum-small group laboratory. Facilities for conducting case studies, psychological testing, interaction analysis, and specific observation tools may be arranged for effective operation of this lab.

(d) Computer Laboratory

A room of floor area 50 sq. mts. with at least five personal computers will be required for this lab. With such a facility, the students can learn theory and practical of Computer Education. *It is desirable for general students. It is an essential lab for those who opt for computer teacher education.*

4.1.10 Material Production Center-Production Wing

Correspondence/Distance Education institutions produce and use training, teaching, learning and evaluation materials. The strength of the program lies in the quality, quantity and diversity of these materials. The equipment like DTP with laser printer, dot matrix, Xerox machine, electronic typewriter and printing facility are desirable.

It is desirable to have the audio and video production workshops. The audio production workshop requires audio recording machines, audio cassettes for reproduction of multiple copies of high quality, sound dubbing equipment and editing machines. The video production workshop having equipments like video cameras, light and sound equipment, VCRs, editing equipment, may be added for producing video materials.

4.2 Building Space for Residential Areas

4.2.1 Staff Quarters

Essential

Principal's/Director's residence should be provided on the campus.

Desirable

Quarters for at least 50% of the teaching staff. Quarters for all staff (both teaching and non-teaching) may be provided in those areas where housing is an actute problem.

4.2.2 Norms for Staff Quarters

Item	Number
Principal/Director (of Professor's Rank) (One)	1
Professor (one)	1
Readers (Two)	2
Lecturers (Seven)	7
Technical Support Staff (Ten)	10
Helpers (Five)	5

4.3 Norms for Equipment, Books and Furniture

4.3.1 Equipment for Science Laboratory

Essential

The nodal centers should arrange at least one set of all science apparatus required to perform the experiments prescribed at different school levels. All required chemicals should be available on the shelf and almirah meant for keeping chemicals and other equipments.

Desirable

Multiple sets of some apparatus may be provided so that more than one trainees can perform the same experiment at the same time. Some apparatus to perform innovative and higher level experiments may also be provided.

4.3.2 Equipment for Psychology Laboratory

Apparatus for simple experiments related to educational psychology.

Essential

Intelligence Tests (performance, non-verbal and verbal) attitude Tests, Personality Scales, attitude Tests and Interest Inventories.

Desirable

Multiple sets of the above tests, sensory-motor tests. (Acuity, discrimination, coordination and distraction, etc.)

4.3.3 Equipment for Educational Technology

Essential

Audio Cassette recorder, Slide-cum-film-strip projector, 35mm. still camera, blank audio cassettes and Art materials for preparation of charts and slides.

Desirable

Radio, TV, VCR, Amplifier, Loudspeakers, Microphone. Video Camera, Video Cassettes, Computer PC.

4.3.4 Equipment for Multipurpose Workshop & Work-Experience Activities.

Essential

Two sets of working hand tools, two set of gardener's tools, other essential equipment reuuired for work experience activities provided in the institution in a few areas.

Desirable

Multiple sets of hand tools,

4.3.5 Equipment for Games & Sports

It is desirable, if an institution has simple equipment and materials for games and play. These can also be used for practising game or play based pedagogy, and for conducting action research in related areas.

4.3.6 Norms for Books and Journals

Essential

The library should have initially multiple sets of modules and text books. It is desirable to have at least 100 sets so as to cover 500 students. A part from this, there should be at least 5000 books including texts and reference books. The institution should subscribe to a minimum of dozen journals (national and international).

Desirable

At least 7000 books including text books and reference books, with a provision of adding at least 100 titles per year. It should subscribe to at least 15 journals. These books and journals will help to transform and innovate the given programs.

4.3.7 Norms for Furniture

All rooms in the institutional building should have adequate and appropriate furniture. The norms for furniture in different rooms of the institution are as follows:

NATURE OF FURNITURE	NORMS	
	ESSENTIAL	DESIRABLE
1. Classrooms: Ten		
The 1st & 2nd year classes are not to be arranged simultaneously	1 Set for each student × 50 sets for each class room	75 sets for each classroom
Table & Chair for Teacher	1 set (2.5m × 1m × 1m)	Good size
Blackboard	One	One
2. Seminar Room:	All adequate number to	Enough to accommodate more
Students & Teacher's Tables & Chairs,	accommodate 100 students & 10 teachers	teachers & students
3. Hall with Dais: (One), & Chairs	Dais (3 × 6 × 0.5m) Halls sufficient to accommodate 500 students	Sufficient to accommodate about 800 students and teachers
4. Laboratory: (Science, Psychology, Educational Technology)		
Work Tables (1.25 × 0.9 × 0.1)	5 in each laboratry	5 in each lab
Stools (0.6 ht.)	25 in each lab	25 in each lab
Demonstration Table & Chair,	Demo. table 1 in each lab	1 in each lab
Steel Almirah,	1 in each lab	2 in each lab
Storage racks	2 in each lab	4 in each lab
5. Workshop		
Work Benches (1.25 × 2 × .75)	4 benches	6 benches
Stools (0.5 ht.)	25 stools	30 stools
Teacher's Table & Chair	1 each	1
Steel Almirah	1 each	2
Storage racks	2 each	4
Black Board (3.5 × 1)	1	1
6. Library at Nodal Study centers	Annual grant of Rs. 1 lakh	Annual grant of Rs. 1/2 lakh
7. Study Centers	Adequate in number	Sufficient, easy to reach
8. Field Practicum Schools/Centers	As per state norms for one of its own schools	As per state norms for all working practicum schools/ centers
9. Principal/Head/Directors, Room		
Table, Steel Almirah, Book Rack, Filing Cabinet, Telephone/Fax	One each	One each
Chairs,	10	15

NORMS

NATURE OF FURNITURE	ESSENTIAL	DESIRABLE
10. Teacher's (Staff Room) Almirah/Cabinets, Tables & Chairs	One for each Teacher	Same as essential by having good quality materials.
11. Office Room Chair & Table, Extra Chairs, Steel Almirah, Filing Cabinet, Filing Racks, Notice Boards, Stools	Adequately furnished	Sufficiently furnished by having good quality materials
12. Store Room Steel Almirah, Storage Racks etc.	Three in each store room	Four or Five in each store room
13. Student's Common Room Chairs, Long Tables etc.	Adequate to accommodate 25 students	Sufficient to accommodate 40 students

NORMS FOR STAFF

The teacher education through Distance Education includes a number of activities the like course designing, course development, organization of training experience, checking students assignment, monitoring self corrective learning materials, organizing contact programs, monitoring student-teaching, etc. The NCTE expects that facilities and expertise be made available both at the university as well as collage levels. The central unit or examining university would not act only as an administrative body but also act as active academic resource centre. It is essential to appoint the full-time well qualified staff. Sufficient part-time faculty should also be made available.

5.1 Teaching Staff (N=500 students per year)

Designation	Number Required		Specialization	Qualification & Experience
	Essential	Desirable		
Principal	Professor's Rank (One)	Professor's Rank (One)	Education	Ph.D. in Education with Master's Degree First/Second Class. 10 years experience in teaching and/or research or administration (UGC/Government norms).
Reader in Education	Two	Two	Education	Ph.D. in Education with Master's Degree in first/second class in any school subjects.5 years teaching and/or research experience (UGC/Government norms).
Lecturer in Education	Seven	Seven	One for each methodology One for each pedagogy subject	As laid down by UGC/Government.
Part Time Faculty	Ten (Academic/ Professional) and having relevant competencies	Ten	Education	Suitably Qualified
Instructor in Work-experience	One	One	Relevant Craft	Certificate/Diploma in Craft
Instructor in Art and Music	One	One	Fine Art, Music	Diploma/Certificate in Fine Arts

5.2 Technical Support Staff

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Librarian	1	more than 1	Degree in Library Science.
Assistant Librarian	1	more than 1	Diploma in Library Science
Technical Assistants	1	more than 1	ITI Certificate/Diploma HSC with training in A-V B. Sc.
Computer Operator	1	more than 1	Diploma in Computer Education

5.3 Administrative & Helper Staff

Designation	Essential	Desirable	Qualification
Office Assistant-cum-Typist	1	UDC—1	as in Govt. Service
Accounts Asst.-cum-Clerk	1	LDC-Account-1, Typist-1	as in Govt. Service
Helper Staff	3	5	as in Govt. Service.

5.4 Nature of Employment of Staff

All staff shall be appointed on full time regular basis after selection by a properly constituted selection Committee. In the Selection Committee for teaching staff, it is essential to have a nominee of the NCTE and or the University/Govt. as required by local rules.

The salary structure of teaching staff should as per Government UGC/NCTE Norms.

6.0 NORMS FOR CURRICULAM

6.1 Duration

24 months for B.Ed. course : exclusive of the time taken for formalities of entrance test, admission, etc.

6.2 Entry Qualification

Entry qualification for admission in terms of marks at graduation or other levels will be the same as prescribed by the State Government for recruitment of Teacher or prescribed for entry to regular teacher education program. The admissions will be made after a written entrance examination.

6.3 Eligibility Criteria

Only those regular teacher serving in recognized schools (primary, secondary and higher secondary levels) located within the jurisdiction and has a minimum of three years of teaching experience.

6.4 Materials

(a) Adequate amount of self-learning printed course material in distance education format, for which sample based evaluation of the printed materials has been done by the Committee to be set up by UGC/NCTE.

(b) Provision for Audio and Video packages in consultation with the UGC media centers, CIET and NCTE.

(c) Regular Assignments which are duly evaluated within stipulated time. There would be one assignment per semester/two assignment per year, and in each of the papers/courses.

6.5 Contact Programs

Twelve weeks, i. e. 72 days of compulsory contract programs of at-least 6 hours per day. This will be conducted by eligible teacher eduacators from the university departments/training colleges and none else. During this period, the candidates will be interviewed by experts to see the extent up to which they have mastered teaching skills during internship. No contract class will consist of more than 50 teacher-trainees in one group.

6.6 Evaluation

Formative and summative evaluation will be conducted in all curricula and co-curricular areas of the courses. The University/Examining bodies will ensure continuous and comprehensive evaluation as per the guidelines. The written, practical, oral, and other innovative forms of evaluations will be employed as and when necessary. The institution will ensure continuity of feed back on the basis of evaluation of assignments, practical, and other activities.

6.7 Student Support System

The University/Examining Bodies and Study centres, personal contact program centre, co-operative teacher education colleges, practicing schools, fields parcticum centres etc.,will co-ordinate for augmenting the program for quality of correspondence/distance education.

6.8 Norms for Practical

Norms of Practical Work to be performed by each student	Essential	Desirable
Experiments relevant to school syllabus for Science Students	10	15
Project for other students	2	2
Preparation of Teaching Aids	10	15
Administration of Psy. Tests, Scoring Interpretation & Other experiments of relevance.	5	8
Operation of audio-visual equipment	3 different Items	5 different items
Preparation of unit lesson plans	lesson plans	Innovative teaching models
Total number of lessons to be delivered	40	40
Observation of demonstration lessons, in each subject method given by teacher educators	Minimum 2 One in each subject	4
Observation of lessons taught by peer or senior students teachers	2	4
Observation of supervised lessons given by peers	10	15
Construction of test items, unit test and examination question paper in each method subject	20+1+1 group work	30+2+2 group work
Case study/action research/other project	1	2

6.9 Internship

An internship of 4 weeks duration, during which the teacher trainees deliver at-least 40 lessons, in the schools they are serving, 10 of which will be supervised by the specified teacher educators of training colleges/university departments.

7.0 NORMS REGARDING MANAGEMENT OF FINANCE

7.1 Endowment and Reserve Funds

The institution should be financially sound and viable. Government Local Self-Government/ University institutions should undertake to provide adequate finance from time to time. Private institutions should have an endowment fund of Rs. five lakhs and a reserve fund of Rs. 2 laks. (unless full grant-in-aid is aussured.)

7.2 Auditing

The institution must adopt coursewise budgeting, expenditure sanctioning, accounting and auditing procedures/systems. The annual accounts should be audited by anthorities including duly approved Chartered Accountants.

Member Secretary
National Council for Teacher Education
New Delhi.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997